CHRI 2019

कारागार पर 101 सवाल

-आप नही जानते थे कि पूछना किससे है

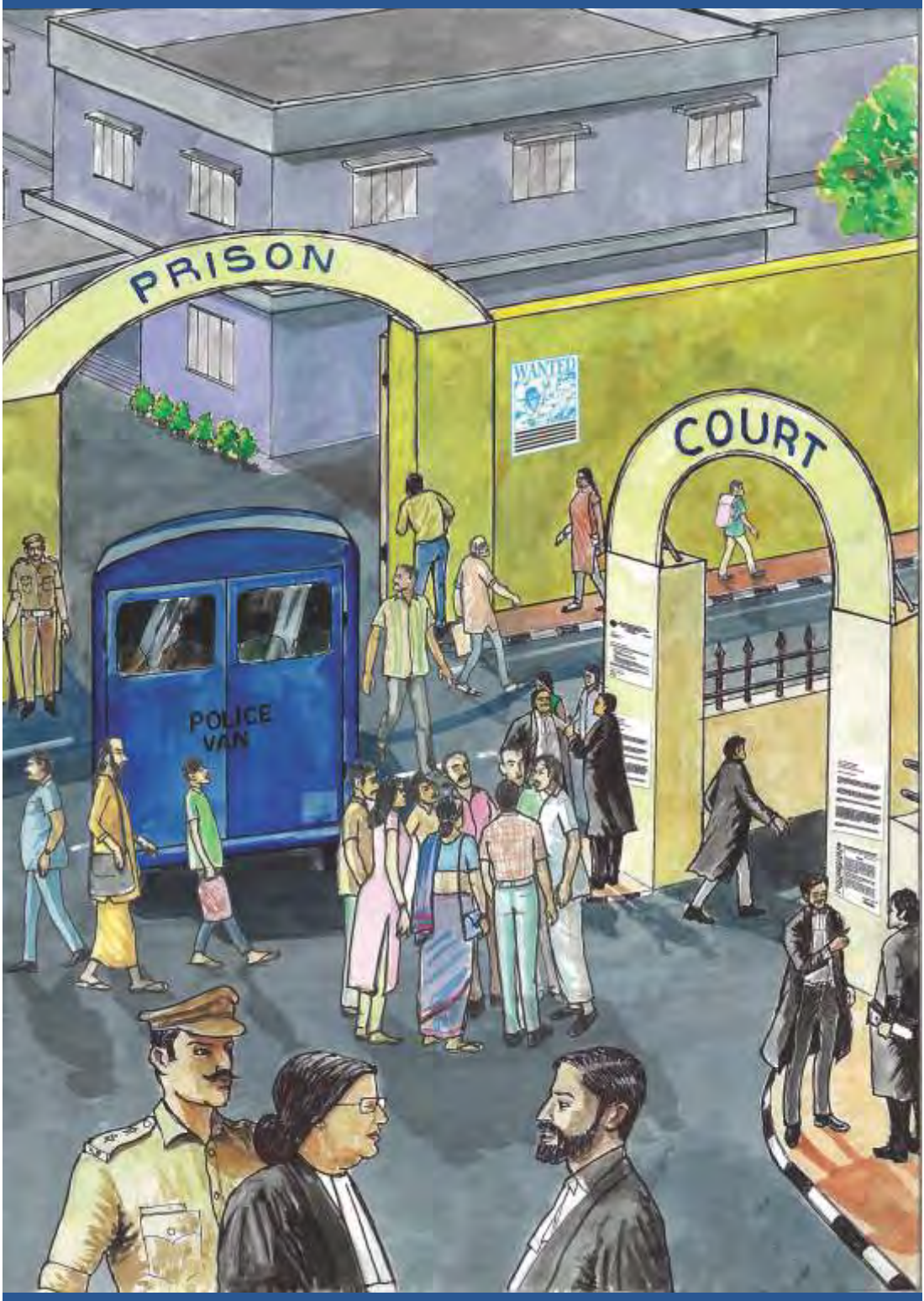

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative
working for the *practical* realisation of human rights
in the countries of the Commonwealth

कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव - एक परिचय

कामनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI) मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाला एक स्वतंत्र, गैर लाभकारी, गैर पक्षपातपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गैर सरकारी संगठन है। १९८७ में कई राष्ट्रमंडलीय व्यावसायिक संगठनों ने सीएचआरआई की स्थापना की। यद्यपि ५३ देशों के संघ के भीतर मानवाधिकारों पर ध्यान बहुत कम था फिर भी राष्ट्रमंडल ने सदस्य देशों को साझा कानून का आधार प्रदान किया |

अपने प्रतिवेदनों और आवर्ती जांचों के माध्यम से सीएचआरआई ने राष्ट्रमंडल देशों में मानवाधिकार की प्रगति और असफलताओं की ओर निरंतर ध्यान आकर्षित किया है । मानवाधिकार हनन की रोकथाम के प्रस्तावों और उपायों की वकालत करने के लिए सीएचआरआई राष्ट्रमंडल सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों, मीडिया और नागरिक समाज को सम्बोधित करती है। सूचना और न्याय के मुद्दों तक पहुंच बनाने के लिए यह सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रमों, नीतियों पर संवाद, तुलनात्मक अनुसंधान, वकालत और नेटवर्किंग पर काम करती है और सहयोग देती है ।

सीएचआरआई मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, राष्ट्रमंडल हरारे के सिद्धांतों और अंतराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार प्रपत्रों के साथ-साथ राष्ट्रमंडल में मानवाधिकारों का समर्थन करने वाले घरेलू प्रपत्रों के अनुपालन में वृद्धि हेतु इच्छुक है ।

सीएचआरआई का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है और इसके कार्यालय लंदन, यू.के. और अक्करा, घाना में हैं।

अंतर्राष्ट्रीय परामर्श आयोग: यशपाल घई, अध्यक्ष। सदस्यः एलीसन डक्सबरी, वजाहत हबीबुल्लाह, विवेक मारू, एडवर्डमोर्टिमर, सैम ओकुडज़िटो और संजय हज़ारिका

कार्यकारी समिति (भारत): वजाहत हबीबुल्ला, अध्यक्ष। सदस्यः बी. के. चंद्रशेखर, जयंतो चौधरी, माया दारूवाला, नितिन देसाई, कमल कुमार, पूनम मुतरेजा, जैकब पुन्नूस, विनीता राय, निधि राज़दान, ए.पी. शाह और संजय हज़ारिका

कार्यकारी समिति (घाना): सैम ओकुडज़ेटो, अध्यक्ष। सदस्यः अकोटो एम्पा, यशपाल घई, वजाहत हबीबुल्लाह, कोफी क़ुआशिंगह, जूलियट टुआकली और संजय हज़ारिका

कार्यकारी समिति (यू.के.): जोआना एवर्ट-जेम्स, अध्यक्ष। सदस्यः रिचर्ड बोर्ने, प्रलब बरुआ, टोनी फोरमैन, निवेले लिंटन, सुज़ाना लैम्बर्ट और संजय हज़ारिका

संजॅय हज़ारिका, अंतर्राष्ट्रीय निदेशक

ISBN 978-93-81241-79-0. ©2019। स्रोत को उचित तरीके से स्वीकार करते हुए इस रिपोर्ट से सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है।

सीएचआरआई मुख्यालय, नई दिल्ली
55ए, तीसरा तल, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली-110 017
इंडिया टेलीफोन नं. +91-11-4318 0200
फैक्स: +91 11 2686 4688
ई-मेल: info@humanrightsinitiative.org

सीएचआरआई, लंदन
रूम नं. 219, स्कूल ऑफ़ एडवांस्ड स्टडी, साउथ ब्लॉक, सीनेट हाउस
मैलेट स्ट्रीट लंदन WC1E7HU
यूनाइटेड किंगडम
ई-मेलः london@humanrightsinitiative.org

सीएचआरआई अफ्रीका, अक्करा
हाउस न०.9, समोरा मैकल स्ट्रीट, असाइलम डाऊन
सामने बीवर्ली हिल्स होटल निकट ट्रस्ट टावर्स
अक्करा, घाना
टेलीफोन/फैक्सः +233 302 971170
ई-मेलः chriafrica@humanrightsinitiative.org

www.humanrightsinitiative.org

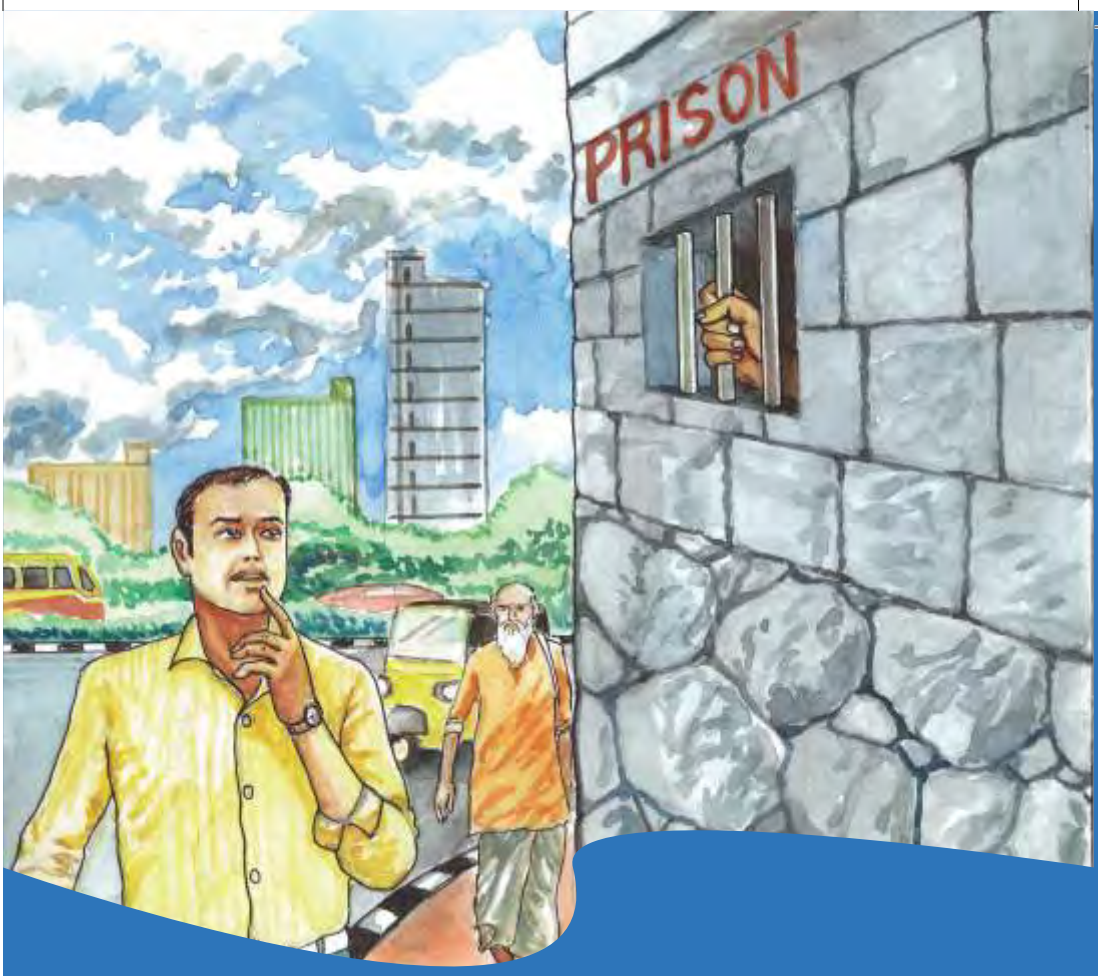

पुस्तिका के विषय में

जेल एक निवृत्त स्थान है । कैदियों के दैनिक जीवन और दिनचर्या के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा, जब तक खुद कैद में न हों जेल जीवन से जुड़े विवरणों को जानने की रुचि बहुत कम लोगों को होती है। कहा जा सकता है कि बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा या आवश्यकता वश जेलों के सम्बंध में उठने वाले सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। इस किताब में जेल और कैदियों के जीवन से जुड़े सबसे अधिक पूछे जाने वाले १०१ सवालों के जवाब शामिल हैं।

संचालन और नियमों के पालन के हिसाब से भारतीय जेलों में काफी भिन्नता है। इसका मतलब यह हुआ कि सवाल का सरल और सटीक उत्तर लगभग कभी नहीं मिलता है और अंतिम संदर्भ उस राज्य की जेल नियमावली से करना होगा जहां पर व्यक्ति कैद है। हालांकि अंतर्निहित सिद्धान्त अक्सर समान होते हैं और इसे ध्यान में रखते हुए ही इस पुस्तिका में सवालों के जवाब दिए गए हैं। जवाब सी.एच. आर.आई. के कई राज्यों में जेल प्रणाली के साथ काम करने के व्यापक अनुभव पर आधारित हैं। फिर भी इस किताब को पढ़ते समय उचित सावधानी बरती जानी चाहिए क्योंकि अलग-अलग राज्यों में नियम भिन्न हो सकते हैं और कुछ प्रावधानों के लिए विशेष परामर्श की आवश्यकता हो सकती है। अगर कोई भूलचूक है तो वह गैरइरादतन है; हमने सार्वजनिक रूप से सुलभ स्रोतों से सामग्री जुटाई है और कठिन श्रम से शोध किया है ।

आभार

सी.एच.आर.आई. उन तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहती है जिन्होंने अपने ज्ञान, विशेषज्ञता और अनुभव से इस दस्तावेज को समृद्ध किया। यह प्रकाशन सी.एच.आर.आई. के '१०१ बातें जो आप पुलिस के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन पूछने से काफी घबराते हैं' के तर्ज पर तैयार किया गया | इस पुस्तिका की संकल्पना संस्था की पूर्व निदेशिका और अब वरिष्ठ सलाहकार माया दारूवाला, नवाज़ कोतवाल सी.एच.आर.आई. के पुलिस सुधार कार्यक्रम के पूर्व संयोजक और सी.एच.आर.आई. के जेल सुधार कार्यक्रम की पूर्व संयोजक सना दास द्वारा की गई थी |

हम सी.एच.आर.आई. के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक संजय हज़ारिका को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने प्रकाशन को प्रोत्साहित किया। सी.एच.आर.आई. की सूचना संचार अधिकारी ऋचा ने महत्वपूर्ण सम्पादकीय सहयोग दिया। जेल सुधार कार्यक्रम की कार्यक्रम प्रमुख मधुरिमा धानुका ने व्यापक संशोधन, सम्पादन और दस्तावेज़ को अंतिम रूप देने की अगुआई की। जेल सुधार कार्यक्रम की वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी सुगंधा शंकर, जेल सुधार कार्यक्रम की पूर्व सलाहकार जयश्री सूर्यनारायणा और जेल सुधार कार्यक्रम की पूर्व सलाहकार रुचिका निगम का विशेष आभार जिन्होंने कड़ी मेहनत से दस्तावेज़ का मसौदा तैयार किया। रणनीतिक योजना एंव सहयोग के प्रमुख विनु सम्पत कुमार का सहयोग और सी.एच.आर.आई. लंदन के राजा बग्गा भी इस पुस्तिका को पूरा करने में सहायक रहे। इस अभिलेख को पूरा करने में हम जेल सुधार कार्यक्रम की टीम के अन्य सदस्यों के लगातार समर्थन की भी सराहना करते हैं।

हम शेफाली तिवारी को भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस पुस्तिका के अनुवाद का अवलोकन किया।

सेंथिल कुमार ने १०१ की डिज़ाइन और प्रारूप के लिए अच्छी रचनात्मक सामग्री प्रदान की।

सामान्य

१. **जेल क्या हैं ?**

जेल राज्य द्वारा प्रबंधित एक कैद खाना जहां लोगों को कारावास की सज़ा भुगतने के लिए भेजा जाता है या जहाँ लोग अपने विचाराधीन प्रकरणों (मुकदमें) के खत्म होने की प्रतीक्षा करते है |

२. **क्या जेल और पुलिस लॉकअप एक समान हैं?**

नहीं, वे भिन्न हैं। पुलिस लॉकअप स्थानीय पुलिस की अस्थाई प्रतिबंधन सुविधा है और पूछताछ के दौरान संदिग्धों को रखने या गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरा करने और उनके परागमन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को केवल न्यायालय के आदेश से पुलिस अभिरक्षा में २४ घंटे से अधिक रखा जा सकता है।

३. **क्या किसी को भी जेल भेजा जा सकता है?**

किसी भी व्यक्ति को केवल न्यायालय के न्यायिक आदेश से ही जेल भेजा जा सकता है जिसे वारंट कहा जाता है। बिना न्यायालय के वैध आदेश के किसी को जेल में कैद करना अवैधानिक है। १८ साल से कम उम्र के व्यक्ति को जो किसी मामले में आरोपी है या किसी अपराध में दोषी करार दिया जा चुका है भारत में किसी भी जेल में कैद नहीं रखा जा सकता।

४. **भारत के जेलों के संचालन के नियम क्या हैं?**

जेलों का संचालन केंद्रीय अधिनियम - कारागार अधिनियम १८९४ के तहत होता है, किन्तु कारागार सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय है इसलिए हर राज्य ने अपने जेल अधिनियम या नियम भी बनाए हैं। अधिनियमों या कारागार नियमावली में संहिताबद्ध नियम कैदियों के साथ व्यवहार और जेल प्रबंधन की कार्यप्रणाली के संचालन के साथ ही कैदियों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। कैदियों के (न्यायालय में हाज़िरी) अधिनियम १९५५, कैदियों के स्थानांतरण अधिनियम १९५०, कैदियों के देशप्रत्यावर्तन अधिनियम २००३ जैसे कुछ कानून हैं जो जेल के विशेष पहलुओं को नियंत्रित करते हैं।

भारत का संविधान, दण्ड प्रक्रिया संहिता (CrPC) १९७३, भारतीय दण्ड संहिता १८६० किसी व्यक्ति को जेल में कैद रखने के मामले का नियमन करते हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य केन्द्रीय व राज्य स्तरीय कानून है, जिनमें व्यक्तियों को कारावासित करने का दंडात्मक प्रावधान है |

५. **कारागार को कौन संचालित करता है? कारागार विभाग का संगठनात्मक ढांचा क्या है?**

कारागार के दिन - प्रतिदिन के संचालन का दायित्व प्रशासनिक, सुरक्षा एंव पूरक कर्मचारियों के एक समूह का होता है। प्रत्येक राज्य के कारागार विभाग की अपनी संगठनात्मक संरचना है। आम तौर पर जेल महानिदेशक (DG) अतरिक्त जेल महानिदेशक (ADG) या महानिरीक्षक (IG) प्रत्येक राज्य में कारागार विभाग के प्रमुख होते हैं । वे राज्य में गृह विभाग अथवा जेल विभाग (जहाँ जेल पृथक मंत्रालय / विभाग है) को रिपोर्ट करते हैं । केंद्र शासित प्रदेशों में जेल डी.जी./ आई.जी. को केन्द्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करना होता है। डी.जी./ ए.डी.जी./ आई.जी. के अधीन अतिरिक्त महानिरीक्षक (AIG) का पद होता है जो प्रत्येक जेल के अधीक्षकों का निरीक्षण करने वाले उप महानिरीक्षक (DIG) के नियंत्रणकर्ता होते हैं ।

आमतौर से जेल अधीक्षक कारागार प्रमुख होते हैं जो कारागार प्रशासन एंव कैदियों के कल्याण के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसके अधीन अन्य कार्यकारी कर्मचारी (executive staff) होते हैं- अतरिक्त अधीक्षक, उप-अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, पदानुक्रम में इसके आगे जेल कैडर कर्मचारी हैं जिसमें प्रमुख मुख्य प्रहरी, मुख्य प्रहरी, प्रहरी / बंदी रक्षक शामिल हैं। पदानुक्रम में सबसे नीचे प्रहरी या बंदी रक्षक होते हैं जो तलाशी और कैदियों की गिनती के माध्यम से जेल के अंदर सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने, जेल खोलने और बंद करने, सफाई व्यवस्था और स्वच्छता,

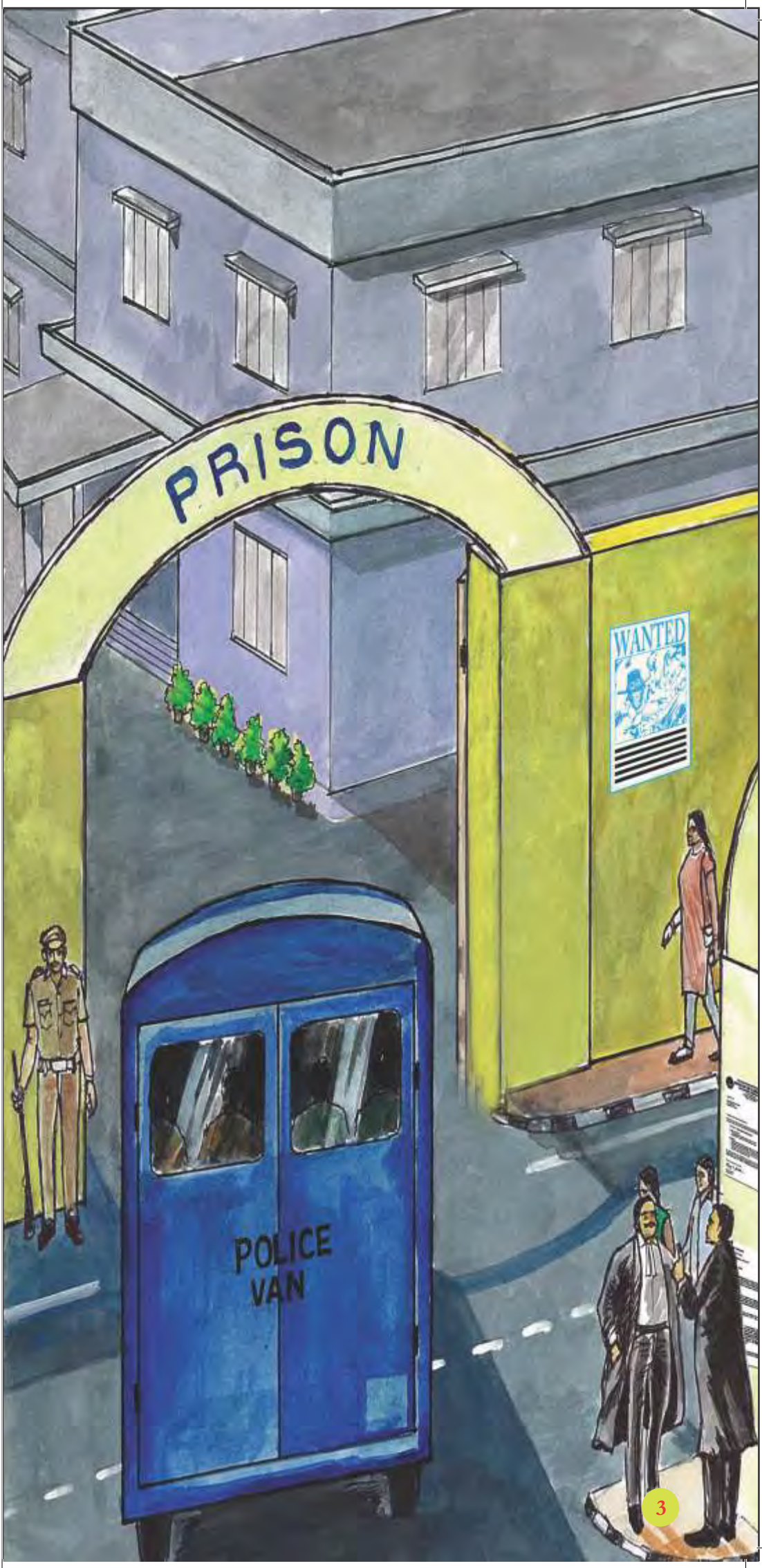
PRISON
WANTED
POLICE
VAN

भोजन और काम के वितरण के माध्यम से कैदियों के कल्याण के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी सुरक्षा कर्मचारी हैं। कार्यकारी कर्मचारी (executive staff) को सुधारक कर्मचारियों के एक समूह द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जिसमें कल्याण अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी, व्यवसायिक प्रशिक्षक, कारखानों के पर्यवेक्षक, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा अधिकारी समेत चिकित्सा कर्मचारी, चिकित्सा सहायक कर्मचारी और अनुसचिवीय कर्मचारी और अन्य सहायक अधिकारी शामिल हैं।

६. **क्या कोई भारतीय कारागार सेवा है?**

नहीं, वर्तमान में भारतीय पुलिस सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरह कोई अखिल भारतीय कारागार सेवा नहीं है। कारागार विभाग के प्रमुख (DG/ADG/IG) आमतौर पर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अथवा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) से लिए जाते हैं जबकि अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, वॉर्डर का सम्बंध राज्य कारागार सेवा से होता है |

७. **जेलों के कितने प्रकार है ?**

वृहद् रूप से क्षमता, सुरक्षा, आधारभूत संरचना, कर्मियों और सुविधाओं के आधार पर जेलों को सात प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है :

केंद्रीय कारागार: इसमें विचाराधीन और दोषी करार दिए जा चुके दोनों तरह के कैदी रखे जाते हैं। आजीवन कारावासी अनिवार्यतः केन्द्रीय जेलों में रखे जाते हैं|

ज़िला कारागार : इसमें प्रमुख रूप से विचाराधीन कैदी रखे जाते हैं, सज़ायाफ्ता कैदियों को केंद्रीय कारागार भेज दिया जाता है। कुछ राज्यों में आजीवन से कम सज़ा से दण्डित बंदी भी रखे जाते हैं |

उप - जेल : इसमें केवल विचाराधीन कैदी एवं कुछ राज्यों में बहुत छोटी सज़ाओं के कैदी रखे जाते हैं।

महिला कारागार : इसमें विशेष रूप से महिला कैदियों को रखा जाता है।

अर्ध खुले या खुले कारागार : इसमें पात्र दण्डित बंदी रखे जाते हैं और कैदियों को अपनी जीविका स्वंय कमाने के लिए काम करने की अनुमति होती है ।

बाल सुधार गृह : इसमें १८ से २१ साल के सज़ायाफ्ता कैदियों को रखा जाता है।

विशेष जेल : राज्य कुछ जेलों को विशेष जेल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं हालांकि इसको परिभाषित करने का कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया गया है।

८. **कैदियों के कितने प्रकार हैं?**

कैदियों को उनके प्रकरणों की स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है जैसेः-

दण्डित कैदी : वे व्यक्ति जिनको दंडनीय अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया जा चुका है और कारावास का दण्ड दिया गया है |

विचाराधीन कैदी : वे लोग जो जेल में बंद हैं और जिनके प्रकरण प्रचलन में है, जिसमें अग्रिम निर्णय नहीं हुआ अथवा जमानत नहीं मिली है |

नज़रबंद : वे लोग जिनको निवारक निरोध कानून के अंर्तगत बंद किया गया है।

रिहाई के लिए प्रतीक्षारत : वे लोग जिन्होंने अपनी सज़ा पूर्ण कर ली है लेकिन प्रक्रियागत विलम्ब के कारण रिहा नहीं किए गए हैं ऐसे मामले मुख्य रूप से विदेशी कैदियों (FNPs) के होते हैं |

सिविल कैदी/ दीवानी कैदी : ऐसे कैदी जो उपर्युक्त किसी भी श्रेणी में नहीं आते और बकाया भुगतान न करने या जुर्माना या वित्तीय ऋण की अदायगी न करने के लिए बंदी बनाए गए हैं।

९. **क्या अलग-अलग तरह के कैदियों के लिए नियम भिन्न हैं?**

हां, हर श्रेणी के कैदियों के लिए जेल नियमावली में प्रायः अलग - अलग नियमों का प्रावधान है। आमतौर पर विचाराधीन कैदियों, नज़रबंदों और दीवानी कैदियों के लिए सज़ायाफ्ता कैदियों की तुलना में नियम अधिक उदार होते हैं।

प्रवेश प्रक्रियाएं

१०. किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा जेल भेज दिए जाने के बाद क्या होता है?

जेल में प्रवेश करने पर कुछ अनिवार्य प्रक्रियाएं आरंभ हो जाती हैं। कारागार के मुख्य द्वार पर न्यायालय के आदेश और व्यक्ति की पहचान की जांच होती है। उसके बाद उसे कुछ प्रक्रियाओं से गुज़रना पड़ता है जैसे जेल अभिलेखों में प्रवेश, शारीरिक तलाशी, चिकित्सीय जांच, बुनियादी सुविधाओं का आवंटन, वार्ड आदि।

११. प्रवेश प्रक्रिया के दौरान क्या होता है?

जेल भेजे गए सभी व्यक्तियों का औपचारिक रूप से जेल में भर्ती होना आवश्यक है। अलग-अलग राज्यों में प्रवेश प्रक्रिया भिन्न होती है। जहां नवीन डिजिटल कार्यप्रणाली (कारागार प्रबंधन व्यवस्था- PMS) का प्रयोग किया जाता है वहां प्रवेश प्रक्रिया में फोटो और उंगलियों के निशान लेना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति का विवरण प्रवेश रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। कैदी को उसके बाद उसके बंदी हिस्ट्री टिकट (HISTORY ticket) की एक प्रति प्रदान की जा सकती है या सूचित कर दिया जाता है कि किस प्रकार ई - कीओस्क (जहां सुविधा उपलब्ध है) का प्रयोग कर अपने सम्बन्ध में जेल में समस्त जानकारियों को प्राप्त कर सकता है। बंदी हिस्ट्री टिकट जेल में निरुद्ध व्यक्ति के मामले की सभी सम्बंधित जानकारियों का दस्तावेज़ है जिसमें केस रिफरेंस संख्या, सम्बंधित न्यायालय, कैदी के विवरण, पता, आयु, पेशी की तारीख आदि शामिल हैं। हिस्ट्री टिकट में कैद की पूरी अवधि के दौरान सभी जानकारियों को अद्यतन किया जाता रहना चाहिए। कुछ राज्य टिकट की एक प्रति कैदियों को अपने पास रखने की अनुमति देते हैं।

१२. 'शारीरिक तलाशी' क्या है? तलाशी कौन लेता है?

प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी वर्जित वस्तु, जिन वस्तुओं की जेल में अनुमति नहीं है, उस के लिए व्यक्ति की शारीरिक तलाशी ली जाती है। तलाशी की सभी प्रक्रियाओं का संचालन व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करते हुए किया जाना चाहिए। महिला कैदियों की तलाशी केवल महिला कर्मचारी ही ले सकती है और निजता को सुनिश्चित करने के लिए तलाशी पृथककक्ष / बंद जगह की जानी चाहिए |

अलग अलग राज्यों में आमतौर से वर्जित वस्तुओं की सूची भिन्न होती है और साथ ही तलाशी की गहनता भी। प्रायः जेल उप-अधीक्षक या सहायक अधीक्षक इसकी निगरानी करते हैं। व्यक्ति के पास मौजूद सभी कीमती सामान जैसे रूपए या आभूषण सम्बंधित रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और कैदी के हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान लिया जाता है। इन वस्तुओं को सुरक्षित रख दिया जाता है और जेल से रिहाई पर उस व्यक्ति को सौंप दिया जाता है ।

१३. स्वास्थ्य परिक्षण क्या है? क्या यह अनिवार्य है?

जेल प्रवेश के २४ घंटे के भीतर किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रत्येक कैदी की जांच अवश्य की जानी चाहिए। चिकित्सा अधिकारी को व्यक्ति की स्वास्थ्य जांच का रिकार्ड अवश्य बनाना चाहिए जिसमें सामान्यतः आयु, वज़न, बीमारी का इतिहास और नशीले पदार्थों के उपयोग और टीकाकरण समेत शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति शामिल होती हैं। अगर कैदी के शरीर पर चोट या ज़ख्म के निशान पाए जाते हैं खासकर अगर निशान ताज़े हैं और कैदी को पुलिस हिरासत में यातना दिए जाने की ओर इशारा करते हैं तो चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक रूप से सम्बंधित अधिकारियों को इसकी सूचना देनी चाहिए। अगर कैदी गर्भावस्था में है या कुष्ठ रोग या एचआईवी जैसी संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त है तो मेडिकल रिकार्ड में उसका उल्लेख भी अवश्य किया जाना चाहिए। दण्डित कैदियों के मामले में उनका स्वास्थ्य रिकार्ड ही उनको दिए जाने वाले श्रम का आधार होता है ।

१४. कैदियों को प्रदान की जाने वाली बुनियादी सुविधाएं क्या हैं?

कुछ बुनियादी सुविधाएं जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं या कैदियों को अपनी ज़रुरत का सामान लाने कीअनुमति होती है या जहां कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है, कैंटीन से सामग्री क्रय की अनुमति होती है| हालांकि अलग-अलग राज्यों में यह भिन्न होती है और सम्पूर्ण सूची के लिए सम्बंधित जेल नियमावली को देखा जा सकता है। प्रायः इलेक्ट्रानिक सामान जैसे मोबाइल, रेडियो, या संगीत वादक यंत्र की अनुमति नहीं दी जाती है न ही सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू या पान मसाला आदि जैसी वस्तुओं की अनुमति होती है।

सामान्यतः बुनियादी सुविधाओं में स्नान प्रसाधन के सामान जैसे टूथ ब्रश, टूथ पेस्ट, साबुन, शैम्पू, टॉयलेट पेपर, स्वच्छता नैपकिन और निजी वस्तुएं जैसे अंतः वस्त्र, तौलिया, जूते, चप्पल, किताबें, पेंसिल, नोटबुक आदि शामिल हैं। विचाराधीन कैदियों के लिए नियम उदार हैं और प्रायः उन्हें अपने कपड़े पहनने की अनुमति होती है। चिकित्सा अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद अपने चिकित्सीय प्रयोग के लिए कैदी मुहरबंद/पैक ब्रांडेड दवाएं ले जा सकते हैं।

१५. वार्डों का आवंटन कैसे किया जाता है?

वार्ड आवंटित करने के लिए अपनाई जाने वाली नीतियां न केवल अलग -अलग राज्यों में भिन्न होती है बल्कि एक ही राज्य के अलग-अलग जेलों में भी भिन्न होती हैं। आयु, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, अपराध की प्रकृति, सुनवाई की अवस्था, न्यायालय जहां उनका मुकदमा चल रहा है, आपराधिक रिकार्ड, सज़ा की अवधि आदि के आधार पर कैदियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसा कि प्रचलित है विचाराधीन और सज़ायाफ्ता कैदियों को अलग-अलग बंद रखा जाता है उसी तरह जैसे पुरूष और महिला कैदियों को। आदतन अपराधियों को प्राथमिक अपराध करने वालों से अलग कर दिया जाता है। कैदियों को आमतौर पर बैरकों में रखा जाता है जिसमें २०-५० या उससे अधिक लोग रहते हैं यह निर्धारित क्षमता पर निर्भर करता है जो एक जेल से दूसरी जेल और एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होते हैं।

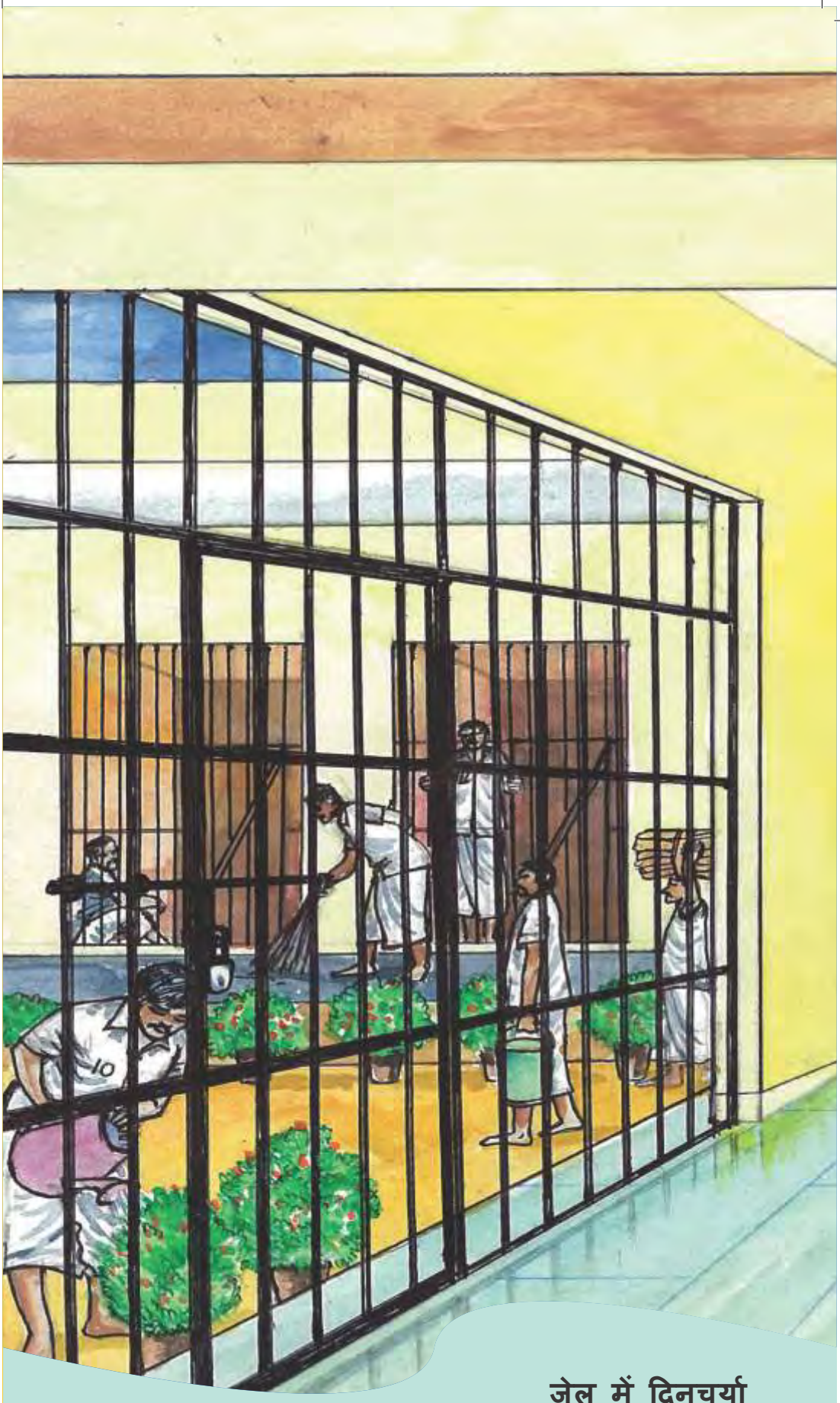

जेल में दिनचर्या

१६. क्या कैदियों को पूरे दिन अपने वार्ड में रहना पड़ता है?

नहीं, हर जेल में खोलने और बंद करने का निश्चित समय होता है। सामान्य परिस्थितियों में जेलें सुर्यास्त से सूर्योदय तक बंद रहती हैं, इस अवधि में कैदियों को बैरक के परिभ्रमण की अनुमति नहीं होती है। दिन के कुछ निश्चित समय प्रांगण में, वार्डों में आने जाने, स्नान और मनोरंजक गतिविधियों के लिए निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक जेल की नीति के अनुसार कैदियों की दिन में कई बार गिनती भी होती है।

१७. क्या जेल में रहते हुए कैदी अपनी धार्मिक प्रथाओं का पालन कर सकते हैं?

हां, कैदी को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है। हालांकि उन्हें ऐसे सामान का प्रयोग करने या ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो वर्जित श्रेणी के अतर्गत आते हैं जैसे कृपाण। जेल की दिनचर्या में बाधा डालने वाले अनुष्ठानों की भी अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रभारी अधिकारी से कैदी अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार अलग जगह या विशेष आहार जैसी चीज़ों पर खासतौर से विचार करने का अनुरोध कर सकते हैं।

१८. कैदियों के लिए आहार का क्या प्रावधान है?

सभी कैदियों को एक दिन में तीन से पांच बार भोजन दिया जाता है; इसमें चाय, हल्का नाश्ता और तीन बार आहार शामिल हैं। आहार चार्ट प्रायः जेल परिसर में प्रदर्शित किया जाता है या जेल के प्रभारी अधिकारी या जेल नियमावली से प्राप्त किया जा सकता है। जेल राशन में बुनियादी और संतुलित भोजन शामिल होता है जैसे दाल और चावल या रोटी, इसमें सब्ज़ियां और कभी-कभी मांस या अंडा भी शामिल हो सकता है। भारत में क्षेत्रीय खान-पान सम्बन्धी रूचि अनुसार विभिन्न राज्यों की जेलों का आहार चार्ट निर्धारित होता है | चिकित्सा अधिकारी के निर्देश के मुताबिक कुछ कैदियों को आवश्यकतानुसार विशेष आहार भी उपलब्ध कराया जाता है। कैदियों के स्वास्थ्य, श्रम और उनकी धार्मिक आस्था के अनुरूप अलग तरह के भोजन आवंटित किए जा सकते हैं। बीमार या अस्वस्थ या अस्पताल वार्ड में भर्ती कैदी विशेष आहार प्राप्त करते हैं जैसे गर्भवती या दूध पिलाने वाली महिलाओं और बच्चों को विशेष आहार मिलता है।

१९. क्या जेल में कोई बाहर से खाद्य पदार्थ ला सकता है?

कुछ शर्तों के साथ और जेल अधीक्षक की अनुमति से विचाराधीन कैदी बाहर से खाना ले सकते हैं। कुछ जेलों में कैंटीन भी होती है जहां से कैदी वहां प्रचलित नियम के अनुसार खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं। कैंटीन में प्रायः खाने की साधारण चीज़ों का भण्डार होता है जैसे बिस्कुट, नमकीन, ब्रेड, मक्खन आदि

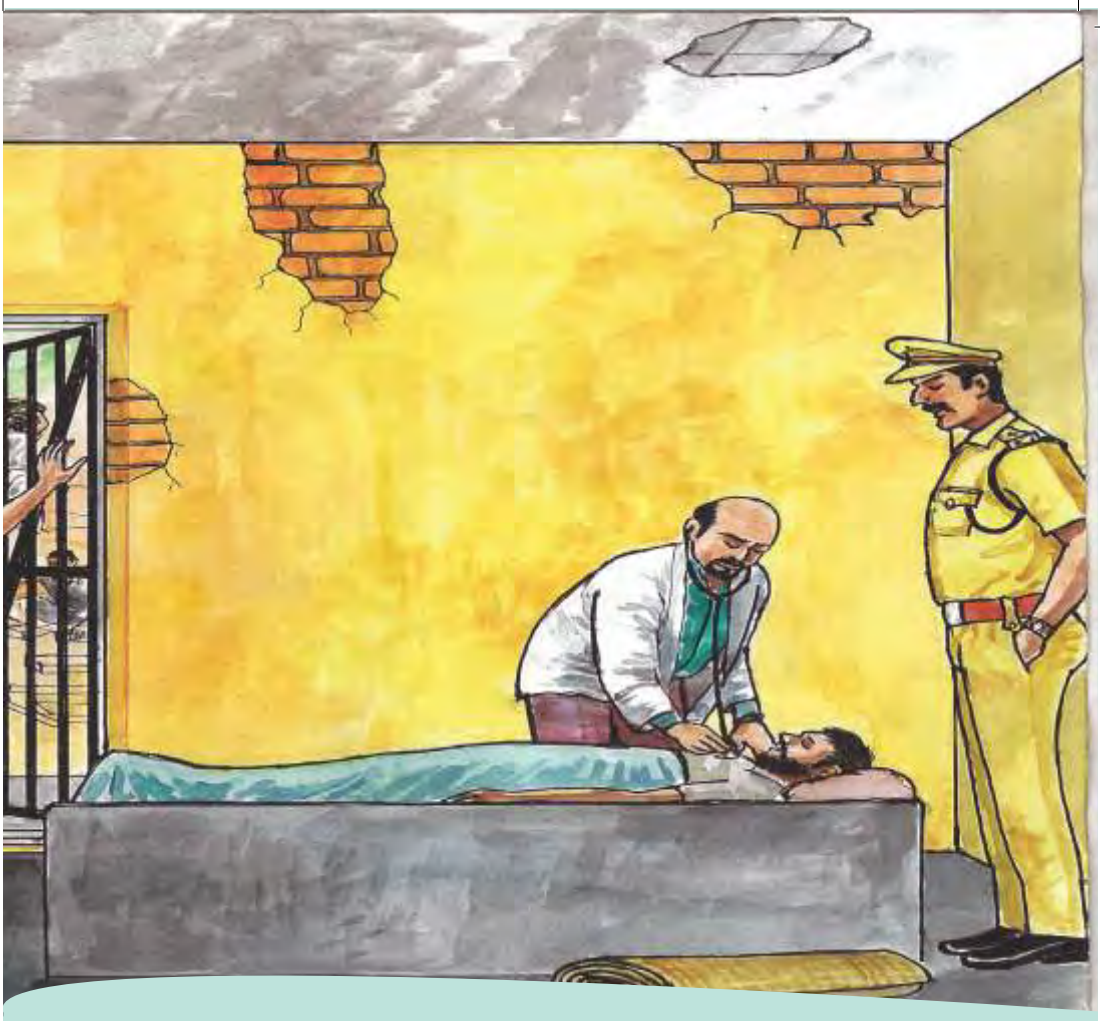

साथ ही समोसा, कचौड़ी, ढोकला आदि जैसे नाश्ते भी प्राप्त किये जा सकते हैं। विभिन्न कैंटीन में उपलब्ध सामग्रियों में भी भिन्नता हो सकती है ।

२०. जेल के अंदर स्वच्छता के लिए किसका उत्तरदायित्व है ?

सामान्यतः जेलों में सफाई व्यवस्था जेल नियमावली में निर्धारित है। जेल परिसर में स्वच्छता बनाए रखने की ज़िम्मेदारी जेल कर्मचारियों और कैदियों दोनों की होती है। आमतौर पर कैदी उनके आवंटित स्थान की सफाई के लिए ज़िम्मेदार होते हैं जबकि सार्वजनिक उपयोग के जेल परिक्षेत्रों की सफाई जेल में नियुक्त सफाई कर्मियों अथवा सज़ायाफ्ता कैदियों द्वारा की जाती है जिन्हें जेल प्रशासन द्वारा जेल श्रम के रूप में स्वच्छता कार्य हेतु निर्धारित पारिश्रमिक में नियुक्त किया गया है | सफाईकर्मी जेल के स्नान/शौचालय स्थानों एवं रात्रि शौचालयों (बैरक के भीतर निर्मित शौचालय) की भी सफाई करते हैं |

२१. क्या जेल में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होता है?

प्रत्येक कैदी को पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का अधिकार है। इसे सुनिश्चित करने के लिए जेलों में विभिन्न प्रावधान किए गए है जैसे कुछ जेलों में फ़िल्टर किया हुआ पानी उपलब्ध कराया जाता है या कुछ में रिवर्स ओसमोसिस (R.O.) प्लांट स्थापित हैं जबकि कुछ बिना फिल्टर का पानी उपलब्ध कराते हैं जो कि संभव है उपभोग के लिए सुरक्षित न हो। पानी की गुणवत्ता के सम्बंध में जेल के प्रभारी अधिकारी, विधिक सेवा प्राधिकरणों के अधिकारियों या विज़िटर्स बोर्ड के सदस्यों से शिकायत की जा सकती है।

२२. कैदियों को क्या स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध हैं?

जिन जेलों में चिकित्सक पदस्थ हैं वहां कैदी अपनी अस्वस्थता की सूचना उन्हें दे सकते हैं; तथा जहाँ स्वास्थ्य अधिकारी पदस्थ नहीं हैं वहां जेल प्रशासन

द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्साधिकारी ही करे इस हेतु जेल प्रशासन द्वारा अंशकालिक चिकित्सक को जेल में बुलवा कर अथवा सम्बंधित जिले / तहसील के शासकीय चिकित्सालय में कैदी को भी भेजा जा सकता है। परिक्षण उपरांत चिकित्सा अधिकारी कैदी के उपचार के लिए आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकते हैं जिसमें दवाओं का पर्चा लिखना, आगामी रोग निर्धारण परीक्षण की आवश्यकता लिखना, जेल अस्पताल में भर्ती करना शामिल है। चिकित्सा अधिकारी कैदी की स्वास्थ्य आवश्यकता के आधार पर आहार, श्रम की मात्रा एवं समय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जहां पैथोलोजी लैब उपलब्ध है वहां जेल के अंदर रोग निर्धारण परीक्षण किया जाता है। जेल विभाग द्वारा कैदियों को दवाओं की मुफ्त आपूर्ति भी की जाती है।

२३. क्या कैदी जेल अस्पताल के अतिरिक्त भी उपचार की मांग कर सकते हैं?

हां, कैदियों को दूसरे अस्पतालों में इलाज की अनुमति दी जा सकती है। चिकित्सा अधिकारी किसी स्थानीय अस्पताल में विशेष उपचार की सिफारिश कर सकता है या दूसरे अस्पताल में इलाज कराने हेतु अनुमति चाहने के लिए कैदी जेल के प्रभारी अधिकारी को लिख सकता है। वे अपने वकील के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर उस अदालत से भी अनुमति मांग सकते हैं जहां उनके मुकदमे की सुनवाई चल रही है। अगर कैदी का कोई वकील नहीं है तो उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्बंधित सचिव को लिखना चाहिए इसके अतिरिक्त वे पैरा लीगल वालंटियर अथवा जेल में स्थापित विधिक सहायता क्लीनिक में जेल विज़िटिंग अधिवक्ता से सहायता ले सकते हैं।

२४. जेल में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं?

आरंभ में ही मानसिक बीमारी का पता लगाने या उनकी रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए जेल विभाग द्वारा सभी कैदियों को मनोचिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक परामर्श अवश्य उपलब्ध कराना चाहिए। प्रत्येक केंद्रीय और ज़िला जेलों में विशेषज्ञ मनोचिकित्सक की सेवाएं होनी चाहिए जिसकी सहायता हेतु एक मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सा में प्रशिक्षित समाजसेवी हो। केंद्रीय और जिला जेलों में मानसिक विकार के प्राथमिक उपचार के लिए सुविधाओं होनी चाहियें। उप-जेलों को चाहिए कि मानसिक बीमारी वाले कैदियों को निकटतम मनोचिकित्सीय सुविधाओं तक ले जाएं अथवा ज़िला या केंद्रीय जेलों में स्थानांतरित करें। सभी जेलों को औपचारिक रूप से मानसिक अस्पतालों से भी जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, मनोरोगी बंदियों को इलाज के लिए उपयुक्त मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में स्थानांतरित किया जा सकता है।

२५. क्या कैदी जेल में काम कर सकते हैं? क्या उन्हें मज़दूरी दी जाती है?

हां, विशेष रूप से दण्डित बंदी जिन्हें सश्रम कारावास की सज़ा से दण्डित किया गया है, कैद के दौरान काम करने हेतु बाध्य हैं । जेल के प्रभारी अधिकारी या जेलर कैदियों को जेल परिसर के भीतर निर्धारित श्रम में नियोजित करते हैं तथा जिन कैदियों की सज़ावधि लम्बी होती है या जो शिक्षित हैं उनको कभी-कभी जेल प्रशासन की सहायता का काम दिया जाता है उन्हें स्थानीय बोलचाल में सज़ायाफ्ता अधिकारी/ सज़ायाफ्ता वार्डर या सज़ायाफ्ता अधिदर्शक कहा जाता है। कैदियों को प्रायः कारखानों या उत्पादन इकाइयों, रसोई, सफाई, सुरक्षा या भवन के रखरखाव के कार्य में नियुक्त किया जाता है। कुछ कैदियों को कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा के पैरालीगल वालंटियर के रूप में भी प्रशिक्षित किया जा सकता है एवं विधिक सहायता क्लीनिक (लीगल एड क्लीनिक) में कार्य दिया जा सकता है। दण्डित बंदियों की मज़दूरी कुशल, अर्धकुशल या अकुशल कार्य के अनुरूप अलग-अलग होती है लेकिन किसी भी हालत में राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी से कम नहीं हो सकती। अलग-अलग राज्यों में पारिश्रमिक दर भिन्न होती है।

विचाराधीन कैदियों या साधारण सज़ायाफ्ता कैदियों से जेल में कार्य करने के लिए नहीं कहा जा सकता। यद्यपि वे स्वेच्छा से जेल प्रशासन से कार्य की अनुमति मांग सकते हैं जिसकी अनुमति दी भी जा सकती है |

२६. अगर कैदी की मृत्यु जेल में हो जाए तो क्या होता है?

जेल में किसी बंदी की मृत्यु को हिरासत में हुई मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है| न्यायिक अभिरक्षा में हाने वाली सभी मृत्यु के सन्दर्भ में निम्नलिखित कार्यवाहियों के आदेश हैं:

१. दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ की धारा १७४ और १७६ की उपधारा (४) के तहत प्राधिकृत मजिस्ट्रेट को मृत्यु के कारणों की न्यायिक जांच हेतु आग्रह करना;

२. आवश्यकता अनुसार जेल की अधिकारिता क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को लिखना जिसे आरंभिक जांच करनी है;

३. मृत्यु के २४ घंटे के भीतर राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग को घटना एवं मृत्यु के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप में सूचना देना |

जब किसी कैदी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के संभावित कारणों का पता लगाने के लिए जांच अवश्य की जानी चाहिए यथा मृत्यु स्वभाविक थी अथवा अस्वभाविक, मृतक को किस प्रकार के उपचार की आवश्यकता थी और क्या उपचार दिया गया, क्या जेल अधिकारियों की तरफ से दुर्व्यवहार या लापरवाही बरती गई थी? जेल विभाग का प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि मृत्यु के बारे में तत्काल कैदी के परिवार को सूचना दें।

२७. कैदियों को क्या अधिकार प्राप्त हैं एवं उनके क्या कर्तव्य हैं?

हां, कैदियों को उनके कारावास के कारण सीमित किये गए कुछ अधिकारों के अतिरिक्त वे सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत है | जेल के भीतर कैदियों के कुछ निर्धारित कर्तव्य भी हैं। सभी कैदियों का कर्तव्य है कि वे नियमों का पालन करें, सक्षम अधिकारियों द्वारा दिए गए विधिसम्मत आदेशों का पालन करें और अनुशासन एंव व्यवस्था बनाए रखें। उन्हें दूसरे कैदियों, जेल कर्मियों और अन्य पदाधिकारियों के अधिकारों का भी सम्मान अवश्य करना चाहिए और झूठे आरोप लगाने या दूसरों की आस्था को आहत करने से बचना चाहिए । उन्हें सरकारी सम्पत्ति की तोड़फोड़ कभी नहीं करनी चाहिए। साफ सफाई और स्वच्छता के निर्धारित मानकों को बनाए रखने के लिए सभी कैदी उत्तरदायी हैं। अधिकारों एंव कर्तव्यों की विस्तृत सूची के लिए पृष्ठ ३६ देखें।

परिवार, मित्रों और अधिवक्ताओं से सम्पर्क

२८. कैदी से जेल में कौन और कितनी बार मुलाकात कर सकता है?

जेल नियमों के अनुसार कैदियों को जेल में अपने परिवार, मित्रों और अधिवक्ताओं से निर्धारित दिनों और निर्धारित समय पर मुलाकात का अधिकार है। मुलाकातों की आवृत्ति सप्ताह में एक दिन से पूरे सप्ताह तक है जो कैदियों के प्रकार पर निर्भर है जैसे विचाराधीन, नज़रबंद, सिविल कैदी या सज़ायाफ्ता। मुलाकात सम्बन्धी नियम सभी राज्यों में अलग-अलग हैं |

२९. मुलाक़ात कैसे संचालित होती है?

मुलाक़ात आमतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र में होती है जहां मुलाक़ात में आये व्यक्तियों और कैदियों के बीच तार की जाली, सलाख या मज़बूत कांच पृथकता हेतु होते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक राज्यों में आवश्यकता अथवा पर्व आदि में जेल के भीतर किसी स्थान पर बिना किसी जाली / ग्लास के भी मुलाकात दी जा सकती है जिसे सामान्यतः खुली मुलाकात कहते हैं | मुलाक़ात का समय सम्बंधित राज्य की जेलों पर लागू नियमानुसार १० या ३० मिनट या उससे अधिक हो सकता है | कुछ जेलों में मुलाकात के दिन पूर्व निर्धारित किये जाते हैं । मुलाक़ात से पूर्व जेल कर्मियों द्वारा मुलाक़ातियों की तलाशी ली जा सकती है। कैदी की भी मुलाक़ात से पहले और उसके बाद में वर्जित वस्तुओं के परीक्षण के लिए तलाशी ली जा सकती है।

३०. मुलाक़ात करने आये सदस्य मुलाक़ात के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?

प्रायः मुलाक़ात के लिए विभिन्न राज्यों की जेलों के अलग-अलग नियम होते हैं; कुछ जेलों पर पूर्व-निर्धारित मुलाकात टेलीफोन या वेब पोर्टल के ज़रीए स्वीकृत की जाती है, जबकि अन्य में मुलाकात की तिथि नियत करने के लिए मुलाक़ातियों को व्यक्तिगतरूप से जेल के मुख्य द्वार तक जाना पड़ता है | मुलाकात में आये परिजनों को मुलाकात कक्ष या स्थान पर कैदी से मुलाक़ात की अनुमति मिलने से पूर्व अपने क्रम में प्रतीक्षा करनी पड़ती है । सभी मुलाक़ातियों को

पहचान का प्रमाण जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि अवश्य साथ ले जाना चाहिए।

३१. क्या मुलाक़ाती, मुलाक़ात के दौरान कैदी को भोजन, कपड़ा या दवाइयां दे सकते हैं?

हां, मुलाक़ाती जेल प्रशासन द्वारा अनुमत सामग्रियों को, कैदी को देने के लिए ले जा सकते हैं, किन्तु सुरक्षा कारणों से सीधे कैदियों को उपलब्ध नहीं करा सकते । सामग्रियों को जेल के मुख्य द्वार पर कर्तव्यरत कर्मचारी को सौंप दिया जाता है और जांच के बाद उन्हें कैदी को दे दिया जाता है। जिन जेलों में कैंटीन सुविधा उपलब्ध है वहां मुलाक़ातियों को कैदियों के खाते में पैसा जमा करने या हस्तांतरित करने की अनुमति भी देते है, इस तरह वे कैंटीन से सामान खरीदने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

३२. क्या कैदियों को फोन पर बात करने की अनुमति होती है? बातचीत का खर्च कौन उठाता है?

हां, कैदी फोन पर बात कर सकते हैं लेकिन केवल उन्ही जेलों में जहां यह सुविधा मौजूद है। इसे आमतौर पर प्रीज़न इनमेट कालिंग सिस्टम कहा जाता है और इसका प्रयोग दो या तीन पहले से पंजीकृत नम्बरों पर बात करने के लिए किया जा सकता है। यह व्यवस्था कैदियों को अपने परिवार, रिश्तेदार, मित्रों या अधिवक्ता से बात करने में सक्षम बनाती है। प्रायः कॉल करने का खर्च खुद कैदियों द्वारा उठाया जाता है। कुछ राज्यों में इनकमिंग एवं आउटगोइंग सुविधाएँ निःशुल्क एवं सशुल्क होती है, यह उस राज्य के जेल विभाग के नियम पर निर्भर करता है | बात करने की अवधि और आवृत्ति विभिन्न जेलों में भिन्न होती है।

३३. क्या कैदियों को पत्र लिखने का अधिकार होता है? खर्च कौन उठाता है?

कैदियों को अपने परिवार, रिश्तेदार और मित्रों को जेल से पत्र लिखने की और पत्र, फोटो और कागज़ात भी प्राप्त करने की अनुमति होती है। इन्हें (पत्रों को) उचित निरीक्षण से गुज़रना पड़ता है। पत्र की जांच जेल के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जाती है और कोई भी अप्रिय या संकेतबद्ध शब्द/ वाक्य छांटे जा सकते हैं या पत्र को रोका जा सकता है। कुछ जेल लेखन सामग्री और डाक टिकट उपलब्ध कराते हैं। जेल के नियम के अनुसार अधीक्षक इस बारे में भी निर्णय ले सकते हैं कि ऐसे संवाद कितनी बार हो सकते हैं | कुछ जेल निःशुल्क पोस्टकार्ड उपलब्ध कराते हैं जबकि अन्य पत्रों के डाक खर्च का भुगतान करना पड़ता है।

३४. क्या कैदियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से परिवार से सम्पर्क करने की अनुमति होती है?

हां, जहां यह सुविधा उपलब्ध है, इस सम्बंध में जेल के प्रभारी अधिकारी से यदि निवेदन किया जाता है तो जेल का प्रभारी अधिकारी कैदी को अपने परिवार के सदस्यों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पर्क करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। अगर जेल अधिकारी इस निवेदन को अस्वीकार कर देता है तो न्यायालय से अनुमति मांगी जा सकती है। एक बार मंज़ूरी मिलने के बाद विडियो कांफ्रेंसिंग की प्रक्रिया की मांग के लिए आगे की कार्यवाही हेतु जेल से सम्पर्क किया जा सकता है। कुछ जेलों में प्रिज़्म, पी.एम.एस., ई-प्रिज़न जैसे वेब पोर्टल के द्वारा मुलाकात के आनलाइन निर्धारण की सुविधा प्रदान की जाती है ।

३५. क्या कैदी को अपने पति या पत्नी से, अगर वे दूसरे जेलों में बंद हों, मिलने की अनुमति होती है?

हां, जेलों के प्रभारी अधिकारी दोनों कैदियों के बीच मुलाक़ात की अनुमति दे सकते हैं लेकिन कैदी को मुलाक़ात की मांग करने हेतु आवेदन अवश्य करना चाहिए। उसी जेल में या उसी शहर की अलग-अलग जेलों में कैद पति-पत्नी के बीच मुलाकात की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

३६. क्या कैदियों को अपने बच्चों से मिलने की अनुमति दी जाती है?

हां, कैदी अपने बच्चों से मिल सकते हैं। कुछ जेलों में कैदियों को उनके बच्चों से उन्मुक्त/खुली मुलाकात हेतु कार्यालय क्षेत्र के कमरे में मुलाक़ात की अनुमति दी जाती है। इसके अतरिक्त छः साल से कम आयु के बच्चों को जेल में उनकी मां के साथ रहने की अनुमति होती है। कुछ राज्य बच्चों को उनके पिता के साथ रहने की भी अनुमति देते हैं। जहां बच्चा आश्रय गृह में रहता है, बच्चों और कैदियों से नियमित मुलाक़ात सुनिश्चित करने के लिए जेल के प्रभारी अधिकारी और आश्रय गृह के प्रभारी अधिकारी से अवश्य अनुमति लेनी चाहिए।

३७. अगर कैदी का परिवार दूर रहता है तो परिवार से सम्पर्क सुनिश्चित करने का वैकल्पिक तरीका क्या है?

ऐसी स्थिति में कैदी घर से करीब किसी जेल में स्थानांतरण की मांग कर सकता है। इस सम्बंध में प्रभारी अधिकारी को आवेदन करना चाहिए जो सुरक्षा, कैदी के कल्याण और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर निर्णय लेंगे। परिवार से संवाद के दूसरे विकल्प वीडियो कांफ्रेंसिंग या टेलीफोन सुविधा का प्रयोग है।

३८. क्या अधिवक्ता भी अपने मुवक्किल से जेल में मिल सकते हैं? क्या उनकी मुलाक़ात की प्रक्रिया भी वही है?

हां, ज़रूरत पड़ने पर अधिवक्ताओं का दायित्व बनता है कि वे अपने मुवक्किलों से मिलें। सामान्यतः वकील से मुलाक़ात पर कम रुकावटें हैं और कुछ जेलों में इस वार्तालाप के लिए अलग जगह या कमरे की व्यवस्था हैं। अधिवक्ता अपनी मुलाक़ात की तारीख और समय के लिए जेल के प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

मनोरंजनात्मक और अन्य सुविधाएं

३९. क्या कैदियों को जेल में समाचार पत्र, किताबें आदि पढ़ने की अनुमति होती है?

कैदी जेलों के प्रभारी अधिकारी की अनुमति से किताबें रख सकते हैं। कैदी जेल पुस्तकालय से भी किताबें और अखबार ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं।

४०. क्या कैदी संगीत सुन सकते हैं या अन्य मनोरंजनात्मक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं?

अलग-अलग जेलों में मनोरंजन सम्बंधी सुविधाएं अलग-अलग होती हैं। कुछ जेलों में बैरकों में निर्धारित समय पर इस्तेमाल के लिए जेल प्रशासन द्वारा नियंत्रित रेडियो या टेलीवीज़न उपलब्ध कराए जाते है। कुछ जेलों में कैदियों को अपनी मण्डली या नाटक समूहों को बनाने कि अनुमति हैं और कैदी भी अपनी रुचि और योग्यताओं के आधार पर उसमें शामिल हो सकते हैं। कुछ जेलों में कैदियों को फुटबाल, क्रिकेट, वालीबाल आदि जैसे खेलकूद में हिस्सा लेने या कैरम आदि जैसे इनडोर बोर्डगेम खेलने की अनुमति होती है।

४१. क्या कैदियों को शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को जारी रखने की अनुमति होती है?

हां, कैदी जेल में रहते हुए पढ़ाई जारी रख सकते हैं या अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। उन्हें किसी परीक्षा में बैठने की भी अनुमति होती है। शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले कैदियों को अपने परिवार एंव मित्रों से किताबें और लेखन सामग्री प्राप्त करने की अनुमति होती है और शासन द्वारा भी किताबें उपलब्ध कराई जा सकती हैं या स्वंय उन्हें खरीदने की अनुमति दी जा सकती है। कुछ जेलों में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) के अंतर्गत विशेष पाठ्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और कंप्यूटर केंद्रों पर सूचना प्रोद्योगिकी (IT) के पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं। अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की अनुमति मांगने के लिए कैदियों को जेल अधिकारियों से आवेदन करना आवश्यक है।

४२. क्या जेल में रहते हुए कैदी बैंक खाता खोल सकते हैं?

हां, कैदियों को बैंक खाते खोलने की अनुमति होती है। कुछ राज्यों ने सभी कैदियों के लिए बैंक खाते खोल दिए हैं। बैंक खातों का प्रयोग जेल श्रम के लिए प्राप्त पारिश्रमिक / मज़दूरी के पैसे जमा करने या कैदियों द्वारा कैंटीन (यदि है) से सामान खरीदने के लिए किया जाता है।

४३. क्या जेल में रहते हुए कैदी वोट दे सकते हैं?

विचाराधीन कैदियों को जेल में बंद रहने पर वोट देने की अनुमति नहीं होती लेकिन चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है।

कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंच

४४. क्या कैदियों को वकील नियुक्त करने/वकील से प्रतिनिधित्व है?

हां, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से प्रतिनिधित्व का अधिकार है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद यह अधिकार लागू हो जाता है। पूछताछ के दौरान वकील को मौजूद रहने का हक है और ज़मानत का आवेदन करने या समुचित बचाव तैयार करने के लिए कैदी द्वारा उसे निर्देश दिया जा सकता है। मुकदमें की प्रगति के बारे में सूचित करने और कैदी के परामर्श से उनका बचाव तैयार करने के लिए वकील को जेल में मुवक्किल से मुलाकात की ज़रूरत होती है।

४५. अगर कोई कैदी वकील करने का खर्चा नहीं उठा सकता तो क्या होगा?

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम १९८७ की धारा १२ ((छ) http://legislative.gov.in/sites/default/files/H198739.pdf) के अनुसार सभी कैदियों को राज्य द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार है। सम्बंधित विधिक सेवा प्राधिकरण आवेदनकर्ता कैदी को अधिवक्ता उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी है जो पेशी के समय और मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान कैदी का बचाव निःशुल्क करेगा।

४६. विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है?

विधिक सेवा प्राधिकरण सरकार द्वारा राष्ट्रीय, राज्य, जनपद और तालूका स्तर पर, हिरासत में लिए गए व्यक्ति समेत सभी योग्य व्यक्तियों को, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। यह सुनिश्चित करना उनका दायित्व है कि हर व्यक्ति के पास वकील हो जब गिरफ्तारी के २४ घंटे के अंदर उसे पहली बार न्यायालय में पेश किया जाए । उन मामलों में जहां न्यायालय में पहली पेशी पर कैदी का कोई वकील न हो तो यह अनिवार्य है कि मजिस्ट्रेट कैदी के बचाव के लिए कोई विधिक अधिवक्ता नियुक्त करे। ऐसे सभी निवारणों के बावजूद अगर कोई कैदी बिना वकील जेल में भेज दिया गया या नियुक्त किया गया वकील हाज़िर नहीं हुआ तो कैदी जेल विधिक सहायता क्लीनिक या किसी जेल अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है। उसके बाद वे कानूनी सहायता के लिए आवेदन करने हेतु उचित कदम उठा सकते हैं।

४७. विधिक सहायता अधिवक्ता के लिए कैदी कैसे आवेदन करता है?

कैदी, पैरालीगल वालंटियर या जेल के विधिक सेवा क्लीनिक में सेवाएँ देने वाले अधिवक्ताओं को अपना आवेदन प्रस्तावित कर सकते हैं | वैकल्पिक रूप से वे जेल अधिकारी या प्रभारी कल्याण अधिकारी से मामले को विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में लाने के लिए सम्पर्क कर सकते हैं।

४८. विधिक सेवा प्रदाताओं द्वारा कौन सी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा सकती हैं?

निःशुल्क विधिक सेवा में शामिल है (क) न्यायालय की फीस और अन्य सभी प्रक्रिया शुल्क (ख) न्यायालय में कानूनी प्रतिनिधित्व (ग) आदेशों और अन्य दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करना और (घ) अपील और पेपर बुक तैयार करना जिसमें कानूनी प्रक्रिया से सम्बंधित दस्तावेज़ों का अनुवाद और प्रकाशन शामिल हैं।

४९. क्या कानूनी सहायता वकीलों को फीस का भुगतान किया जाना है?

नहीं, कैदियों को विधिक सेवा से प्राप्त वकीलों को भुगतान नहीं करना है। अगर कोई वकील पैसा मांगता है तो कैदी को इसे सम्बंधित विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में अवश्य लाना चाहिए।

५०. कैदी को कैसे पता चलता है कि उसके लिए कानूनी सहायता अधिवक्ता नियुक्त किया गया है?

वकील नियुक्त करने के बाद विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा जेल प्रशासन या पैरा लीगल वालंटियर या जेल का दौरा करने वाले वकील के माध्यम से कैदी को इसके बारे में सूचनार्थ सूचना पत्र भेजना आवश्यक है। पत्र में वकील का नाम और सम्पर्क का विवरण होना चाहिए।

५१. क्या कैदी अपने मुकदमें के विवरणों पर चर्चा करने और मुकदमे की तैयारियों के लिए अपने वकील से मिल सकते हैं ?

हां, कैदी अपने मुकदमें पर चर्चा करने, ज़मानत के लिए आवेदन करने, मुकदमें की तैयारी करने या अपील या पुनर्विचार याचिका के लिए जेल में अपने वकील से मुलाक़ात कर सकते हैं। कैदी अपने वकील से तब भी मिल सकते हैं जब अपनी सुनवाई के लिए न्यायालय ले जाए जाते हैं। अगर किसी कैदी की पेशी वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जा रही है तो वह सुनवाई से पहले अपने वकील से मुलाक़ात करने हेतु अदालत से लिखित आवेदन कर सकता है।

५२. जेल विधिक सहायता क्लीनिक क्या है ?

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार भारत में प्रत्येक जेल में कानूनी सहायता क्लीनिक का होना अनिवार्य है। इन क्लीनिकों का संचालन कानूनी सहायता प्रदाताओं - सक्षम कानूनी सहायता प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पैरालीगल वालंटियर और जेल विसिटिंग वकीलों द्वारा किया जाता है। पैरालीगल वालंटियर, नागरिक समाज से चयनित कार्यकर्ता या दण्डित बंदी पैरालीगल वालंटियर या दोनों का संयोजन हो सकते हैं। कैदी अपने निजी दीवानी मामलों सहित किसी भी कानूनी सहायता के लिए जेल विधिक सहायता क्लीनिक से सम्पर्क कर सकते हैं।

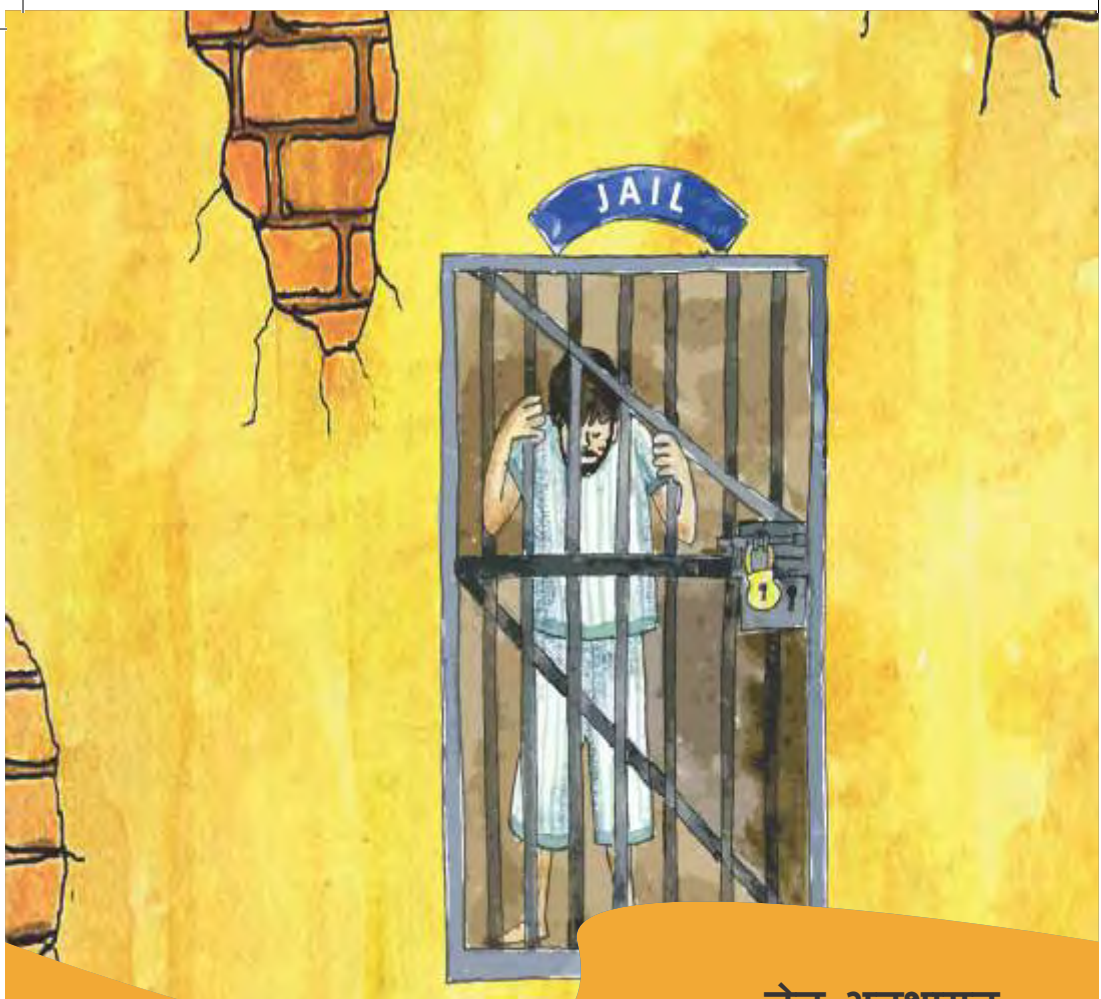

जेल अनुशासन

५३. कौन से कानून या नियम जेल के अपराधों और सज़ा को संचालित करते हैं?

जेल के अपराधों और सज़ाओं को सम्बंधित राज्य की जेल नियमावलियों में परिभाषित किया गया है। सभी कैदियों को जेल की मनमानी एकपक्षीय दी गई सज़ा के खिलाफ अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब है कि अगर उन पर अनुशासनात्मक उल्लंघन का आरोप है तो कैदियों को अधिकार है कि

१. उन्हें कारागार अधिनियम और नियमों के उल्लंघन की प्रकृति के बारे में सटीक जानकारी दी जाए,

२. बचाव में सुना जाए,

३. अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं के निर्णय के बारे सूचना दी जाए, और

४. अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में प्रावधानित अपील का अधिकार दिया जाये ।

जेल प्रभारी अधिकारी, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुरूप कैदियों को दण्डित करते हैं|

५४. किस प्रकार के जेल दंड दिए जा सकते हैं ?

जेल दंड छोटा या बड़ा हो सकता है। छोटे दंडों में औपचारिक चेतावनी या विशेषाधिकार की हानि आदि शामिल है। बड़े दंडों में अर्जित सज़ामाफी की समाप्ति, किसी अन्य जेल में स्थानांतरण, कड़ी निगरानी और सुरक्षा, कैदी द्वारा कारित किसी गतिविधि से हुई किसी हानि कि क्षतिपूर्ति कि वसूली आदि| यद्यपि किसी दंड या विशेषाधिकारों और सुविधाओं के अस्वीकरण या अन्य जेल में स्थानांतरण जैसे दंडात्मक परिणामों को न्यायिक मूल्यांकन के बिना कैदियों पर थोपा नहीं जा सकता। जेल अपराधों और सज़ाओं का हर राज्य की जेल नियमावलियों में प्रावधान किया गया है। कुछ राज्यों में जेल की सज़ा के बतौर एकांत कारावास की भी अनुमति दी है।

५५. एकांत कारावास क्या है?

एकांत कारावास कैदियों को बिना सार्थक मानव सम्पर्क के प्रति दिन २२ घंटे या उससे अधिक बंद रखना है। यद्यपि कई राज्यों की जेल नियमावलियों में जेल के प्रभारी अधिकारी को एकांत कारावास की सज़ा देने अधिकृत किया गया किन्तु उच्चतम न्यायालय के कई दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऐसी सज़ा केवल सक्षम न्यायालय द्वारा दी जा सकती है।

५६. क्या कैदियों को अनिश्चित काल के लिए एकांत कारावास में रखा जा सकता है?

नहीं, भारतीय दंड संहिता १८६० व्यवस्था देती है कि एकांत कारावास की अवधि १४ दिन से अधिक नहीं हो सकती और इसके अलावा एकांतवास की दो अवधियों के बीच उतनी ही अवधि का अंतराल अवश्य होना चाहिए। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के अनुमोदन के बिना ३० दिनों से अधिक एकांतवास की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। किसी भी स्थिति में न्यायालय द्वारा दी गई एकांत कारावास की सज़ा की कुल अवधि तीन महीने से अधिक नहीं हो सकती।

५७. क्या पृथक वार्ड और एकांत कारावास में होना एक ही बात है?

नहीं, वे भिन्न हैं। सुरक्षा या अन्य कारणों से कुछ चिह्नित कैदियों को अन्य कैदियों से अलग रखने के लिए पृथक वार्ड में बंद किया जाता है। ऐसे कैदियों को किसी अन्य पाबंदी का सामना नहीं होता जो एकांत कारावास से सम्बद्ध हो।

५८. क्या कैदियों को चाबुक मारकर, बेड़ियों या ज़ंजीरों से बांधकर नियंत्रित किया जा सकता है ?

नहीं, किसी कैदी को चाबुक मारना, मार-पिटाई करना या बेड़ियों या ज़ंजीरों का प्रयोग करना गैर कानूनी है। भारत के उच्चतम न्यायालय के कई दिशा-निर्देश उनके प्रयोग पर रोक लगाते है। हालांकि अधिकांश राज्यों में जेल नियमावली संशोधित नहीं की गई है और ऐसी सज़ाओं का उल्लेख जारी है। अगर किसी कैदी को ऐसी सज़ा दी जाती है तो वह अपने अधिवक्ता को सूचित कर, न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर और उक्त जेल के बोर्ड ऑफ़ विज़िटर्स के सदस्यों को सूचित कर उसको चुनौती दे सकता है।

५९. क्या अनुशासन बनाए रखने के लिए बल प्रयोग की अनुमति है ?

बल या हथियार के प्रयोग की अनुमति केवल कुछ परिस्थितियों में है। उदाहरण स्वरूप, अगर कैदी (i) भाग रहा है और जेल कर्मी उसे भागने से रोक नहीं सकते, (ii) बाहरी गेट या जेल की दीवार तोड़ने के प्रयास में लगा है, या (iii) जेल कर्मियों या अन्य लोगों के खिलाफ हिंसा का प्रयोग कर रहा है जिसके नतीजे में मृत्यु हो सकती है या गंभीर चोटें आ सकती हैं। आग्नेयास्त्रों का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब कि तेज़ आवाज़ से कैदियों को सचेत करने हेतु फायरिंग की स्पष्ट चेतावनी दी जा चुकी हो| कैदी को केवल तेज़ ध्वनि में फायर करने की स्पष्ट चेतावनी देने के बाद किया जा सकता है। जेल कर्मियों को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराध कारित करने से किसी व्यक्ति को रोकने के लिए न्यूनतम बल प्रयोग किया गया है।

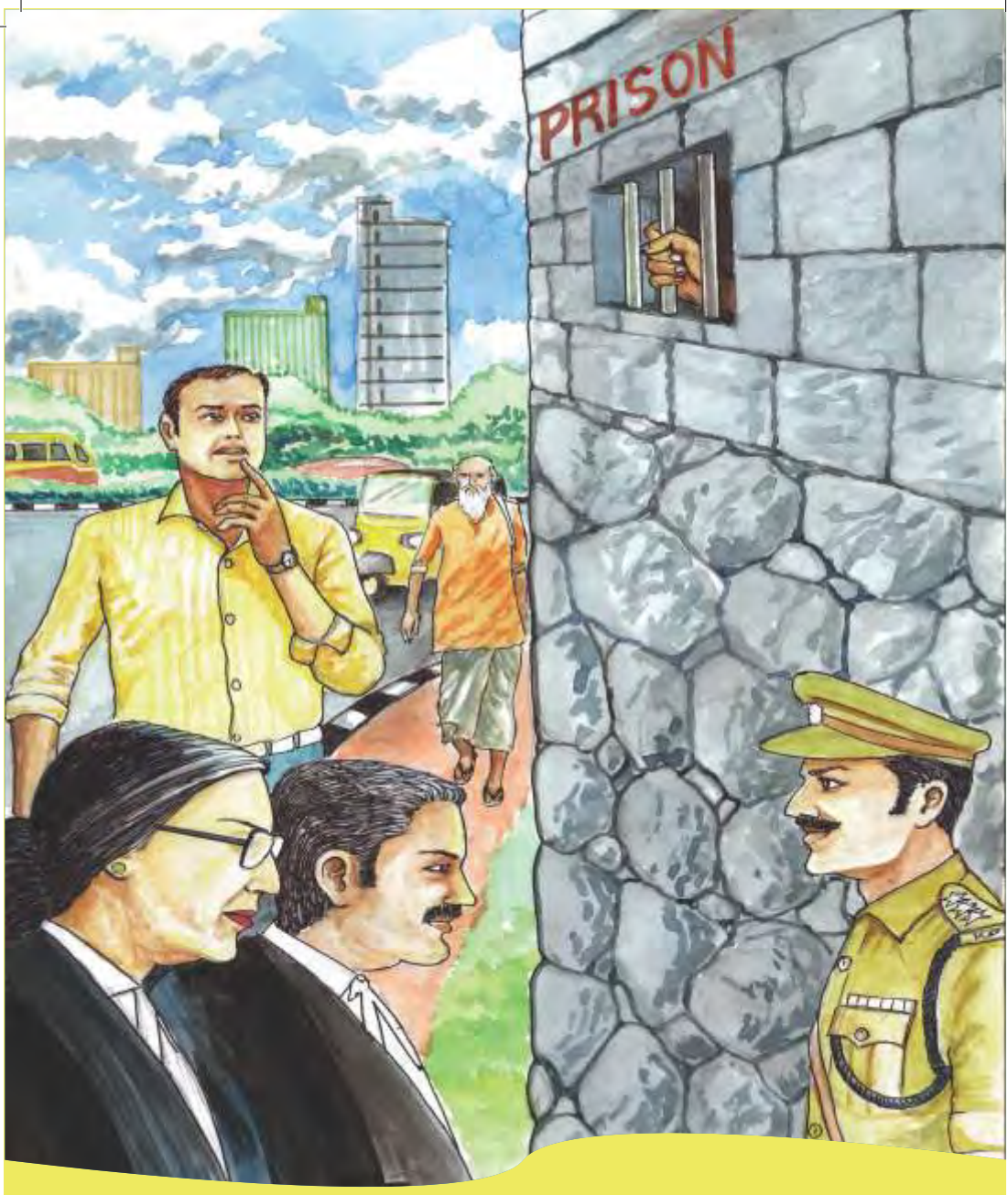

शिकायत निवारण और जेल निरीक्षण

६०. क्या कोई कैदी जेल में उसके साथ घटित किसी मुद्दे / मसले/ समस्या की शिकायत कर सकता है?

हां, कैदी जेलकर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार के सम्बंध में, अन्य कैदियों द्वारा धमकी, चिकित्सीय सुविधा न मिलने के सम्बंध में, विधिक और कानूनी सहायता की समस्याओं या भोजन और रहन-सहन की स्थितियों, इत्यादि समस्यों के बारे में उपयुक्त पदाधिकारी से शिकायत कर सकता है।

६१. कैदी किन पदाधिकारियों से शिकायत कर सकता है?

कैदी जेल के किसी भी वरिष्ठ जेल अधिकारी, जेल महानिरीक्षक, सरकार या न्यायपालिका से शिकायत कर सकते हैं। वे जेलों के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त बोर्ड ऑफ विज़िटर्स में से जेल का दौरा करने वाले सदस्यों या अपने वकील से भी शिकायत कर सकते हैं। वह सचिव जिला विधिक सहायता प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति समेत जिला एंव सत्र न्यायाधीश या किसी अन्य न्यायिक अधिकारी, जिन्हें अपने क्षेत्राधिकार की जेल के निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है, से भी अपनी शिकायत कर सकता है ।

६२. शिकायत निवारण प्रणाली क्या है ?

आदर्श जेल नियमावली २०१६ में प्रावधान है कि कैदियों की शिकायत के लिए प्रत्येक जेल में एक 'सक्रिय' शिकायत निवारण प्रणाली का होना आवश्यक है। इसमें कैदियों को लिखित आवेदन डालने के लिए जेल में सुविधाजनक और केंद्रीय स्थान पर शिकायत बॉक्स लगाने की भी अनुशंसा की गई है। बॉक्स में ताला बंद रहना चाहिए जिसकी चाबी केवल उप अधीक्षक के पास हो। इसी तरह के बॉक्स को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी लगाए जाने की आवश्यकता है और उसकी चाबियाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के पास रखी जाएं।

६३. जेल का निरीक्षण कौन कर सकता है?

जेल एवं दांडिक सेवाओं के नियमित निरीक्षण के दो आयाम हैं। इसका उद्देश्य एक ओर यह सुनिश्चित करना है कि सुधारात्मक सेवाओं के ध्येय को पूर्ण करने के लिए जेलों का प्रबंधन वर्तमान कानूनों, नियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं अनुरूप है वहीं दूसरी ओर कैदियों के अधिकारों की रक्षा करना है| जेल निरीक्षण तंत्र में शामिल होना चाहिएः

क. राज्यस्तरीय जेल प्रशासन द्वारा आंतरिक या प्रशासनिक निरीक्षण कराया जाना, और

ख. जेल प्रशासन से स्वतंत्र किसी निकाय द्वारा बाह्य निरीक्षण कराना जिसमें सक्षम अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय निकाय शामिल हो सकते हैं ।

६४. कौन से बाहरी निकाय जेल का निरीक्षण कर सकती हैं?

कई निकायों को नियमित रूप से जेल का दौरा करने का अधिकार है; इसमें न्यायिक अधिकारी (इसमें विशेषकर जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायपालिका के पदाधिकारी), पदेन और अशासकीय संदर्शकों (NOVs) के समावेश से निर्मित बोर्ड ऑफ विज़िटर्स (BOVs), विचाराधीन पुनर्विचार समिति (UTRC), राष्ट्रीय एंव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA/SLSA) तथा राष्ट्रीय एंव राज्य मानवाधिकार आयोग शामिल हैं।

६५. बोर्ड ऑफ विज़िटर्स (BOVs) के सदस्य कौन होते हैं?

आदर्श जेल नियमावली २०१६ में बोर्ड ऑफ़ विज़िटर्स की निम्नलिखित संरचना का उल्लेख किया है जो विभिन्न राज्यों के नियमों के हिसाब से भिन्न-भिन्न हो सकती हैं |

आधिकारिक/ शासकीय सदस्यों में ज़िला एंव सत्र न्यायालय के न्यायाधीश या अनुविभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरकारी अधिकारी जैसे ज़िला मजिस्ट्रेट / ज़िला कलेक्टर अथवा अनुविभागीय दंडाधिकारी; ज़िला पुलिस अधीक्षक; स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्साधिकारी या उप मंडल स्तर पर उपप्रभागीय चिकित्साधिकारी; कार्यपालिक अभियंता, लोक निर्माण विभाग या सहायक अभियंता; ज़िला शिक्षाधिकारी, ज़िला समाज कल्याण अधिकारी; ज़िला रोज़गार अधिकारी; ज़िला कृषि अधिकारी; ज़िला उद्योग अधिकारी शामिल हैं ।

अशासकीय सदस्यों में राज्य विधान सभा से एक महिला सहित तीन सदस्य, राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा नामांकित एक सदस्य; और जेल प्रशासन और कैदियों के कल्याण के प्रति रुचि रखने वाले जिला / उपमंडल के दो सामाजिक कार्यकर्ता (जिसमें एक महिला हो) शामिल हैं। अशासकीय संदर्शकों को परामर्श, कानून और चिकित्सा जैसे अन्य क्षेत्रों से भी लिया जा सकता है । केंद्रीय, ज़िला एंव उप जेलों के लिए नियुक्त अशासकीय संदर्शकों की संख्या अलग-अलग होती है और उनका कार्यकाल निर्धारित होता है।

६६. बोर्ड ऑफ विज़िटर्स का काम क्या होता है?

बोर्ड ऑफ विज़िटर्स को जेल की स्थिति की निगरानी करने, जेल का नियमित दौरा करने, कैदियों की शिकायतों का निवारण करने और सम्बंधित अधिकारियों से जेल के हालात में सुधार के लिए सिफारिश करने का अधिकार है।

बोर्ड जेल की सुविधाओं (बैरेकों, काम करने की जगह, दूसरे भवनों), जेल आहार की मात्रा और गुणवत्ता, जेल की रसोई और अस्पताल की स्थिति, पानी की आपूर्ति, सफाई का प्रबंध, दवाओं की उपलब्धता, अस्पताल का प्रबंधन, चिकित्सीय इलाज, व्यवसायिक प्रशिक्षण, साक्षरता और पुस्तकालय सुविधा, सुरक्षा प्रबंध और जेल दंड का निरीक्षण भी करता है। यह कैदियों की व्यक्तिगत और सामूहिक शिकायतों, याचिकाओं और निवारण का अवलोकन करता है, जेल रिकार्ड का आंकलन करता है, समय समय पर जेल का दौरा करके जांच करता है कि कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है और सुधारात्मक कार्यों कि अनुशंसा करता है । उनका काम जेल में पारदर्शिता और खुलापन लाता है।

६७. अंडरट्रायल रिव्यु कमिटी (UTRC) क्या है?

अप्रैल २०१५ में '१३८२ जेलों की अमानवीय स्थिति' की याचिका पर अंडरट्रायल रिव्यु कमिटी (UTRC) का गठन प्रत्येक ज़िले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अंतर्गत किया गया है। अनावश्यक कैद के मामलों का पता लगाने और उनकी रिहाई के लिए उचित कार्यवाही की सिफारिश करने हेतु यू.टी.आर.सी. को सभी कैदियों के मामलों पर समय-समय पर विचार करने का अधिकार है। हर तीन महीने पर उनकी बैठक होना आवश्यक है।

६८. यू.टी.आर.सी. के सदस्य सदस्य कौन होते हैं?

यूटीआरसी प्रत्येक ज़िले के ज़िला एंव सत्र न्यायाधीश (अध्यक्ष), ज़िला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, जेल के प्रभारी अधिकारी और ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के सम्मिलन से निर्मित पांच सदस्यीय समिति है ।

६९. किस श्रेणी के मुकदमों पर यू.टी.आर.सी. पुनर्विचार कर सकती है?

निम्न श्रेणियों के कैदियों के मुकदमे यू.टी.आर.सी. द्वारा समीक्षा योग्य हैं:-

(क) अपराध प्रक्रिया संहिता १९७३ (1973) की धारा ४३६ए (436A) के अंतर्गत पात्र विचाराधीन कैदी;

(ख) अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा ४३६ (436) के अंतर्गत पात्र विचाराधीन कैदी;

(ग) विचाराधीन कैदी जिनको अदालत से ज़मानत मिल गई है लेकिन ज़मानत प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं;

(घ) विचाराधीन कैदी जो सीआरपीसी की धारा १६७(२)(a)(i) (167(2)(a)(i)) और (ii) के अंतर्गत रिहा किए जाने का पात्र है,
- (क) जहां ९० (90) दिनों के भीतर विवेचना पूरी नहीं हुई है;
- (ख) जहां विवेचना ६० (60) दिनों के भीतर पूरी नहीं हुई है;
- (ग) जहां विवेचना १८० (180) दिनों के भीतर पूरी नहीं हुई है [{धारा १६७ (167) को नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रापिक पदार्थ अधिनियम १९८५ (1985) की धारा ३६ (36) ए के साथ मिलाकर पढ़ा जाए (जहां व्यक्ति पर धारा १९ (19) या धारा २४ (24) या धारा २७ (27) ए या व्यापारिक अपराध के मामले हैं}];

(ङ) विचाराधीन कैदी जो सी.आर.पी.सी. की धारा १०७, १०८, १०९, और १५१ (107, 108, 109, और 151) के अंतर्गत अपराध कारित करने की आशंका से कैद हैं;

(च) भारतीय दंड संहिता १८६० की धारा ३७९, ३८०, ३८१, ४०४, ४२० अंर्तगत अपराध के आरोपी विचाराधीन कैदी जो अपराधियों के परिवीक्षा अधिनियम की धारा ३ के अंर्तगत आते हैं या ऐसे अपराध के आरोपी जिनकी सज़ा दो साल से अधिक के कारावास की नहीं है;

(छ) विचाराधीन कैदी जिन पर सुलह योग्य अपराध का आरोप है ;

(ज) विचाराधीन कैदी जिनको ऐसा अपराध के लिए बंद रखा गया है जिनकी अधिकतम सज़ा दो साल है ऐसे कैदी को अपराधियों के परिवीक्षा अधिनियम १९५८ के अंतर्गत रिहा करने पर विचार किया जा सकता है;

(झ) विचाराधीन महिला अपराधी;

(ञ) विचाराधीन कैदी जो बीमार या कमज़ोर हैं और उन्हें विशेष इलाज की आवश्यकता है सी.आर.पी.सी. की धारा ४३७ के अंतर्गत उनकी ज़मानत पर विचार किया जा सकता है;

(ट) मानसिक रोग से ग्रस्त विचाराधीन कैदी;

(ठ) १ से २१ साल आयु के पहली बार अपराध करने वाले जिन्हें ऐसे अपराध के लिए कैद रखा गया है जिसकी सज़ा सात साल से कम है और उन्होंने अपनी सज़ा का चौथाई भाग काट लिया है, उन्हें अपराधियों के परिवीक्षा अधिनियम १९५८ के अंतर्गत रिहा किए जाने पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए;

(ड) विचाराधीन कैदी जिनके मुकदमे मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य हैं, ऐसे गैरज़मानती अपराध के आरोपी व्यक्ति के मुकदमे की सुनवाई यदि पहली गवाही के लिए नियत तारीख से ६० दिनों की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है (धारा ४३७ (६) सी.आर.पी.सी.);

(ढ) दण्डित कैदी जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है या उन्हें क्षमादान मिल गया है वे रिहाई के हकदार हैं।

७०. क्या जेलों की निगरानी का दायित्व न्यायपालिका पर है?

न्यायपालिका के प्रमुख पर्यवेक्षक ज़िला न्यायाधीश होते हैं जिनको नियमित रूप से जेल का निरीक्षण करने का अधिकार है और वे अंतरविभागीय पर्यवेक्षण के महत्वपूर्ण अधिकारी के बतौर सेवा देते हैं। वे जेल सुरक्षा, गैरकानूनी हिरासत और कैदी की शिकायतों की समीक्षा करने और रिपोर्ट देने वाली और चोट, मृत्यु या जेल के अंदर दंड की जांच करने वाली समिति में शामिल होते हैं । जेल में निरुद्ध कैदी न्यायिक हिरासत में होते है और चूंकि न्यायालय उनका प्रमुख संरक्षक है इसलिए उनकी वैधानिक भलाई सुनिश्चित करना उनका अधिकार है । वे जेल प्रशासन के लिए निर्धारित किये गए दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन का भी पर्यवेक्षण कर सकते हैं जो कैदियों प्रति व्यवहार के लिए मानक हैं विशेषकर जो कमज़ोर समूहों और कानूनी प्रक्रिया की सुलभता से सम्बंधित हैं ।

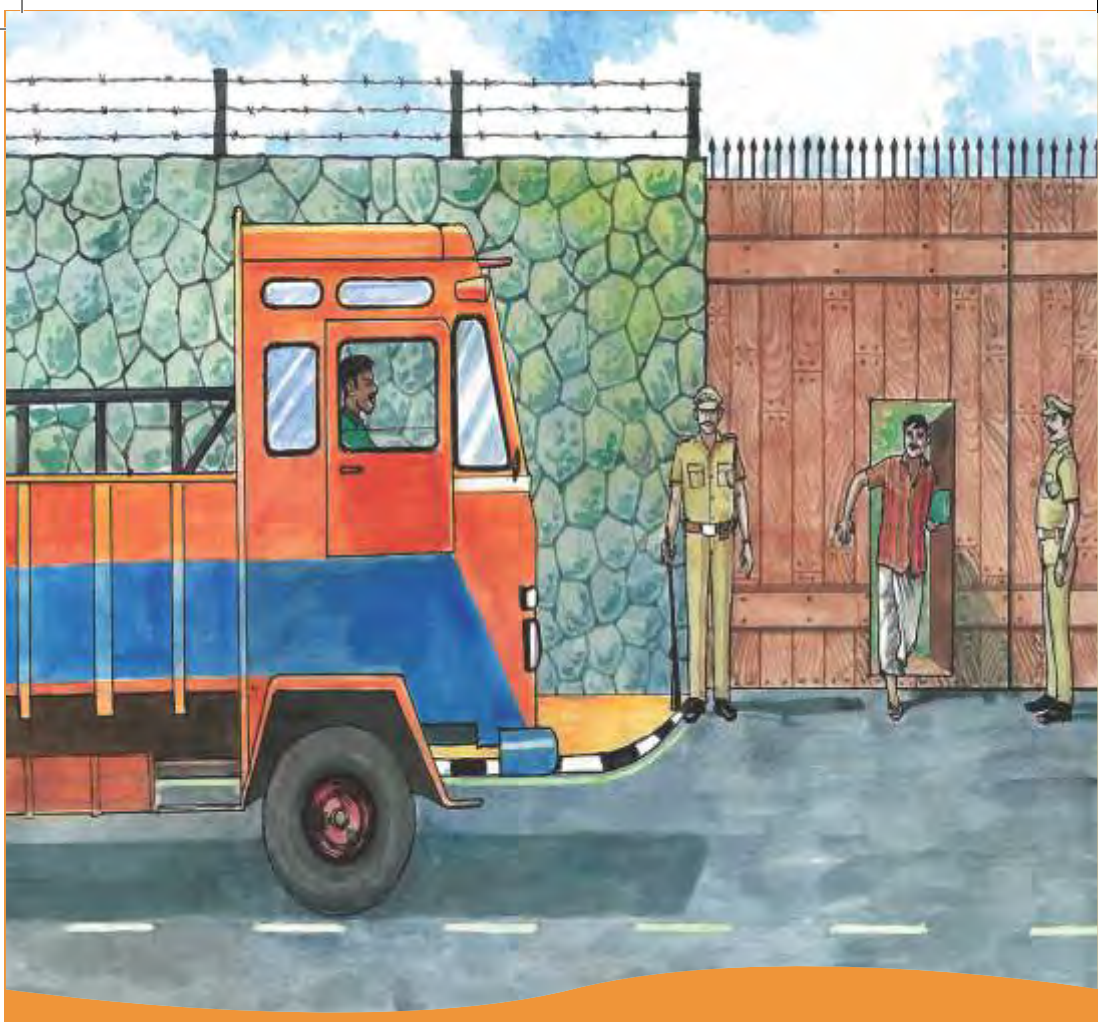

पैरोल, फरलो, सज़ा माफी और समयपूर्व रिहाई

नोट :- पैरोल / फरलो / अस्थाई मुक्ति / सज़ा लागुकरण / सज़ा माफ़ी शब्दों के प्रयोग विभिन्न राज्यों में प्रचलित जेल नियमावली के अनुरूप भिन्न भिन्न संभावित है | अधिकतर राज्यों में अच्छे आचरण वाले बंदियों को परिवार के साथ बाह्य समाज से संपर्क बनाये रखने हेतु वर्ष में कुछ अंतरालों के लिए अस्थाई मुक्ति का प्रावधान है |

७१. पैरोल क्या है?

पैरोल कैदी की कुछ समय के लिए अस्थाई छुट्टी है ताकि वह अपने परिवार और समुदाय के साथ अपने रिश्ते बनाए रख सके और अपने परिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को पूरा कर सके। अधिकतर राज्यों में कैदी द्वारा पैरोल पर जेल से बाहर बिताई गई अवधि को उनकी सज़ा का भाग नहीं माना जाता और इस अवधि के लिए उन्हें जेल में अतिरिक्त समय बिताना पड़ता है।

७२. फरलो क्या है?

फरलो ऐसी अस्थाई मुक्ति है जिसकी पात्रता किसी कैदी को जेल में कुछ निश्चित वर्ष बिताने के बाद अच्छे चरित्र और अनुशासन का प्रदर्शन पर प्राप्त होती है। शुद्ध रूप से यह जेल में अच्छे चरित्र के लिए प्रोत्साहन है। फरलो पर कैदी द्वारा जेल से बाहर बिताए गए दिन उसकी सज़ा में गिने जाते हैं ।

७३. क्या कैदी परिवार से सम्बंधित आपातकालीन मामलों में अस्थाई छुट्टी की मांग कर सकता है?

कम अवधि की अस्थाई छुट्टी या पारिवारिक संकटों के लिए आपाकालीन पैरोल जेल विभाग के प्रमुख द्वारा प्रदान की जा सकती है। आमतौर पर निम्नलिखत कारणों के लिए छुट्टी हेतु निवेदन किया जा सकता है;

(क) कैदी के परिवार का कोई सदस्य मर गया है या गंभीर रूप से बीमार है या कैदी खुद गंभीर रूप से बीमार है;

(ख) कैदी या किसी करीबी रिश्तेदार की शादी हो रही है;

(ग) कृषी कार्यों जैसे जुताई या कटाई के लिए यह आवश्यक है;

(घ) अगर कोई अन्य पर्याप्त कारण है।

७४. अस्थाई रिहाई के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

अस्थाई छुट्टी हासिल करने के इच्छुक कैदी को अपना प्रार्थनापत्र जेल के प्रभारी अधिकारी को देना चाहिए। प्रभारी अधिकारी पात्रता के आधार पर मामले की जांच करेगा और प्रार्थनापत्र को सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित कर देगा जो उसे ज़िला मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज़िले के पुलिस अधीक्षक (एस.पी) को अग्रेषित करेगा। एस.पी को चाहिए कि वह अपनी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से ज़िला मजिस्ट्रेट के पास भेज दे; यदि वह प्रस्तावित रिहाई से असहमत है तो अपने जवाब में उसे कारणों का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। उसके बाद सक्षम प्राधिकारी प्रार्थनापत्र के सम्बंध में निर्णय लेगा।

कैदी को उसके प्रार्थनापत्र के सम्बंध में सभी निर्णयों से अवगत कराया जाना चाहिए जिसमें निरस्त किए जाने के मामले में उसका आधार भी शामिल है। छुट्टी प्राप्त करने के लिए कैदी से कुछ शर्तों पर सहमति के लिए कहा जा सकता है जैसे निर्धारित रूपए कि ज़मानत, व्यक्तिगत बंधपत्र, निर्दिष्ट स्थान पर रहने की सहमति, रिहाई की अवधि में अच्छा व्यवहार करना और रिहाई अवधि की समाप्ति पर जेल वापसी की सहमति इत्यादि।

७५. सज़ा माफी/सज़ा में छूट (रेमिशन) क्या है?

सज़ा माफी एक व्यवस्था है जिसमें अच्छे व्यवहार और जेल नियमों के पालन के लिए अंक या दिन दिए जाते हैं। जब यह अंक अर्जित कर लिए जाते हैं तो सज़ा माफ कर दी जाती है या कम कर दी जाती है इस तरह कारावास की वास्तविक अवधि कम कर दी जाती है। अंकों/दिनों के आधार पर प्रत्येक महीने के अच्छे व्यवहार पर कैदी की सज़ा कुछ निश्चित दिनों की कम की जा सकती है और यह माफी या छूट के रिकार्ड में जोड़ दी जाती है। सज़ा माफी की अधिकतम सीमा किसी दंड के एक तिहाई भाग की हो सकती है ।

७६. सज़ा माफी के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

सज़ा माफी तीन तरह की हो सकती हैः

क. जेल अधिनियम 1894 के प्रावधानों या राज्यों के सम्बंधित जेल अधिनियम और उनके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत सज़ा माफी;

ख. सी.आर.पी.सी. की धारा ४३२ के अंतर्गत सक्षम सरकार द्वारा सज़ा में छूट प्रदान किया जाना।

ग. भारत के संविधान १९५० के अनुच्छेद ७२ या १६१ के अंतर्गत राज्यपाल/ राष्ट्रपति द्वारा दी गई सज़ा माफी।

७७. जेल अधिकारी किस तरह की सज़ा माफी प्रदान कर सकते हैं?

जेल अधिकारियों द्वारा निम्न प्रकार की सज़ा माफी प्रदान की जा सकती हैः

क) साधारण छूटः यह जेल अधीक्षक या उसके द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा उसकी ओर से प्रदान की जा सकती है। इसे प्रदान करने की पात्रताओं और पैमानों का प्रावधान राज्य जेल नियमावलियों में किया गया है । आमतौर पर दो महीना या उससे अधिक की स्थाई सज़ा पाए कैदी साधारण सज़ा माफी प्रदान किए जाने के पात्र होते हैं। अच्छे चरित्र के लिए पैमाना प्रति कैलेंडर महीना तीन दिनों तक हो सकता है, अच्छी तरह काम करने के लिए तीन दिन, आठ दिन उनके

लिए जो रात्रि प्रहरी का काम करते हैं, साल में ३० (30) दिन जेल में पूरे साल कोई अपराध न करने के लिए।

ख) विशेष छूटः यह जेल अधीक्षक की सिफारिश पर जेल विभाग के प्रमुख द्वारा प्रदान की जा सकती है। राज्य जेल नियमावलियों में इसके लिए पात्रताओं और पैमानों का प्रावधान किया गया है। आमतौर पर कैदियों द्वारा सराहनीय कार्य के इनाम के बतौर विशेष छूट प्रदान की जाती है। इसमें सरकारी कर्मचारी या जेल विज़िटर या कैदी की जान बचाने, कैदियों के फरार होने रोकने में सहायता करने, आग, दंगे और हड़तालों जैसी संकटकालीन परिस्थितियों से निपटने में जेल अधिकारियों की मदद करने, सांस्कृतिक गतिविधियों या शिक्षा या उद्योग, कृषि में अच्छा काम करने या किसी अन्य विकास कार्यक्रम या व्यवसायिक प्रशिक्षण में उल्लेखनीय प्रदर्शन शामिल है। विशेष छूट प्रायः एक साल में ३० (30) दिनों से अधिक नहीं होती।

७८. समयपूर्व रिहाई क्या है ?

समयपूर्व रिहाई कैदी के कारावास की वास्तविक अवधि पूरी होने से पहले रिहाई है। यह निम्न प्रकार की हो सकती हैः

क. सी.आर.पी.सी. की धारा ४३३ (433) के अंतर्गत अजीवन कारावास के कैदियों की सज़ा में कमी करके,

ख. सी.आर.पी.सी. की धारा ४२३ (432) के अंतर्गत कैदी की सज़ा माफ करके,

ग. भारतीय संविधान के अनुच्छेद ७२ या 161 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के प्रमुख द्वारा आदेश पारित करके,

घ. राज्य द्वारा कोई विशेष कानून पारित कर के रिहाई देना जिसमें कैदियों की अपनी सज़ा के कुछ भाग भुगतने के बाद अच्छे चरित्र की परिवीक्षा पर रिहाई का प्रावधान किया गया हो।

७९. समयपूर्व रिहाई प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है?

नियमानुसार पात्र दण्डित कैदियों की समयपूर्व रिहाई की सिफारिश करने के लिए राज्य की एक समिति है। यह समितियां विभिन्न नामों से जानी जाती है जैसे दंड पुनर्विचार बोर्ड, राज्य स्तरीय समितियां आदि। ऐसी समितियों की संरचना अलग-अलग राज्यों में भिन्न है। प्रायः उनमें जेल विभाग के प्रमुख, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मुख्य सचिव जेल विभाग और परिवीक्षा अधिकारी शामिल होते हैं। समिति की नियमित बैठक होना और रिहाई के लिए पात्र कैदियों के मामलों पर विचार करना आवश्यक है ।

प्रत्येक जेल के प्रभारी अधिकारी को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र प्रकरणों की प्रक्रिया आरंभ करनी होती है और ऐसे प्रत्येक कैदी के लिए व्यापक रिपोर्ट तैयार करनी होती है । विवरण रिपोर्ट में उसका पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि, उसके अपराध और जिन परिस्थितियों में अपराध किया गया उसका विवरण शामिल होता है। विवरण रिपोर्ट में कैदी का जेल में रहते हुए चरित्र और व्यवहार और साथ ही उसके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ के बारे में भी विचार शामिल होना चाहिए।

८०. क्या सभी कैदियों को समयपूर्व रिहाई का अधिकार है?

नहीं, सभी कैदियों को समयपूर्व रिहाई का अधिकार नहीं है। हालांकि, संबंधित राज्य के नियमों के अनुरूप कारावास की एक निश्चित अवधि जैसे १४ (14) या २० (20) साल (आजीवन कारावास के कैदियों के मामलों में) पूरा करने, या अपनी सज़ा के एक निश्चित अनुपात को पूर्ण कर लेने के बाद कैदियों की समयपूर्व रिहाई पर विचार किये जाने का अधिकार होता है।

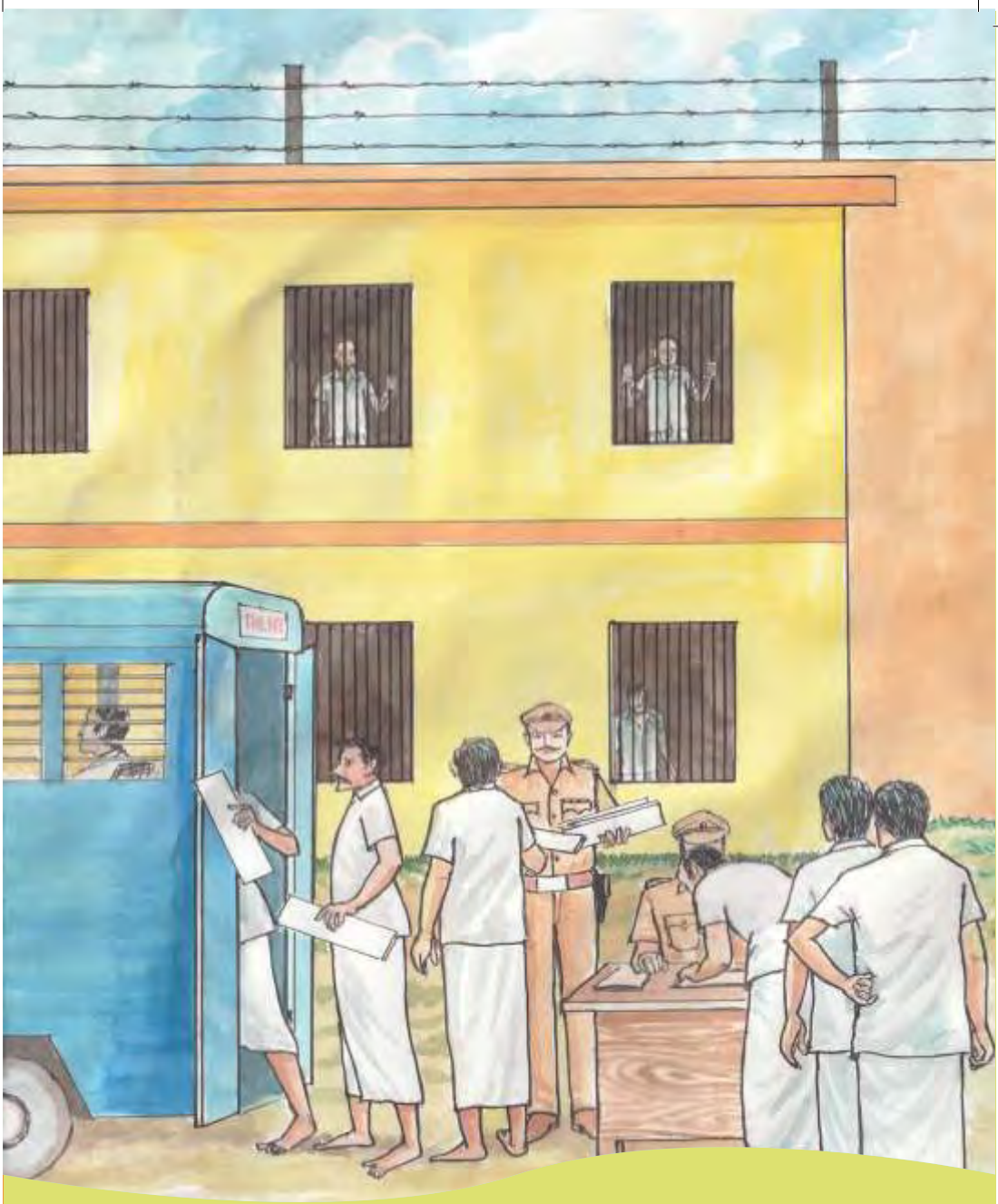

सज़ाओं का क्रियान्वयन, स्थानांतरण और रिहाई

८१. कारावास का दंड कैसे गिना जाता है?

दंड की अवधि कैलेंडर साल, महीनों और दिनों में गिनी जाती है। आजीवन कारावास का मतलब होता है किसी को जीवन भर के लिए कारावास। किसी के दंड के गिनती में जिस दिन सज़ा सुनाई गई है और जिस दिन रिहाई होनी है दोनों कारावास के दिनों के बतौर शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर, किसी को १ जनवरी को एक महीना के कारावास की सज़ा हुई तो वह ३१ जनवरी को रिहा कर दिया जाएगा पहली फरवरी को नहीं। किन्हीं भी परिस्थितियों में कैदियों को न्यायालय के वारंट में दर्शाई गई अवधि से अधिक जेल में बंद नहीं रखा जा सकता। दिन और रात में सज़ा को गिनने का भ्रम नहीं पालना चाहिए सज़ा २४ घंटे के एक दिन के हिसाब से गिनी जाती है |

८२. समवर्ती या क्रमानुसार चलने वाले दंड क्या हैं ?

कई अपराधों में सज़ायाफ्ता कैदियों को न्यायालय द्वारा साथ-साथ या क्रमानुसार दंड भोगने के आदेश दिए जा सकते हैं। समवर्ती में सभी सज़ाएं एक साथ चलती हैं जबकि क्रमानुसार में एक सज़ा की समाप्ति उपरांत अपनी सज़ा / जुर्माना की सज़ा को प्रारंभ किया जाकर उतने समय तक सज़ाएं भुगतान होता है| मिसाल के तौर पर यदि किसी कैदी को पांच साल और सात साल की सज़ा हुई है तो सभी सज़ाओं के साथ-साथ चलने पर उसे सात साल की कैद होगी और यदि क्रमानुसार चलती है तो १२ साल जेल में रहना होगा। आमतौर पर जुर्माने का भुगतान न करने पर सज़ा साथ साथ (समवर्ती) नहीं चल सकती।

८३. किसी कैदी को दूसरे जेल में कब स्थानांतरित किया जा सकता है ?

कैदियों को कई कारणों से एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित किया जा सकता है; जिनमें यह शामिल हो सकते हैं:

(क) चिकित्सा कारण,

(ख) स्थाई सुनवाई या गवाही देने के मकसद से न्यायालय में हाज़िर रहने के लिए,

(ग) अपने गृह जनपद से करीब रहने के लिए,

(घ) सुरक्षा और सुविधा आदि के आधार पर,

(ङ) मानवीय आधारों पर, उनके पुनर्वास के हित में।

८४. जेल से कैदी की रिहाई पर क्या होता है ?

उनकी रिहाई के दिन प्रवेश रजिस्टर या जेल प्रबंधन प्रणाली में रिकार्ड विवरणों से कैदी की पहचान को प्रमाणित किया जाता है। उसके बाद जेल प्रवेश के समय उनके पास कोई कीमती सम्पत्ति जैसे रूपये या आभूषण था तो उसे वापस दिया जाता है। सम्बंधित कागज़ात जैसे पासबुक आदि भी उपलब्ध कराई जाती है। कारावास के दौरान अर्जित मज़दूरी आमतौर पर कैदी के बैंक अकाउंट में भेज दी जाती है लेकिन यदि ऐसा नहीं है, तो रिहाई के समय पूरा पैसा कैदी के हवाले कर दिया जाता है।

इन प्रक्रियाओं की समाप्ति के बाद अधीक्षक या प्रभारी अधिकारी रिहाई के लिए अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है। कैदी का नाम रिहाई रजिस्टर में रिकार्ड कर लिया जाता और जेल प्रबंधन साफ्टवेयर में 'आउट' का चिन्ह लगा दिया जाता है। कैदी की रिहाई होने पर रिहाई रजिस्टर में हस्ताक्षर अथवा बाएं अंगूठे का निशान अवश्य लगाना चाहिए। सज़ायाफ्ता कैदियों को रिहाई के समय रिहाई प्रमाणपत्र भी दिया जाता है।

८५. यदि सज़ा पूरी होने पर कैदी को नहीं रिहा किया जाता तो वह किससे शिकायत कर सकता है?

यदि सज़ा पूरी होने पर कैदियों को रिहा नहीं किया गया है तो उन्हें तत्काल जेल अधिकारियों, अपने वकीलों, या विधिक सहायता प्राधिकरणों और अपने परिजनों को सूचित करना चाहिए। अपनी रिहाई में विलम्ब के कारणों को जानने के लिए कैदी अधीक्षक को भी आवेदन भेज सकता है। जेल का दौरा करने वाले किसी भी न्यायिक अधिकारी के सामने भी कोई मुद्दा उठा सकता है या विचाराधीन कैदी रिव्यु कमिटी के सदस्यों को लिख सकता है, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख सकता है ।

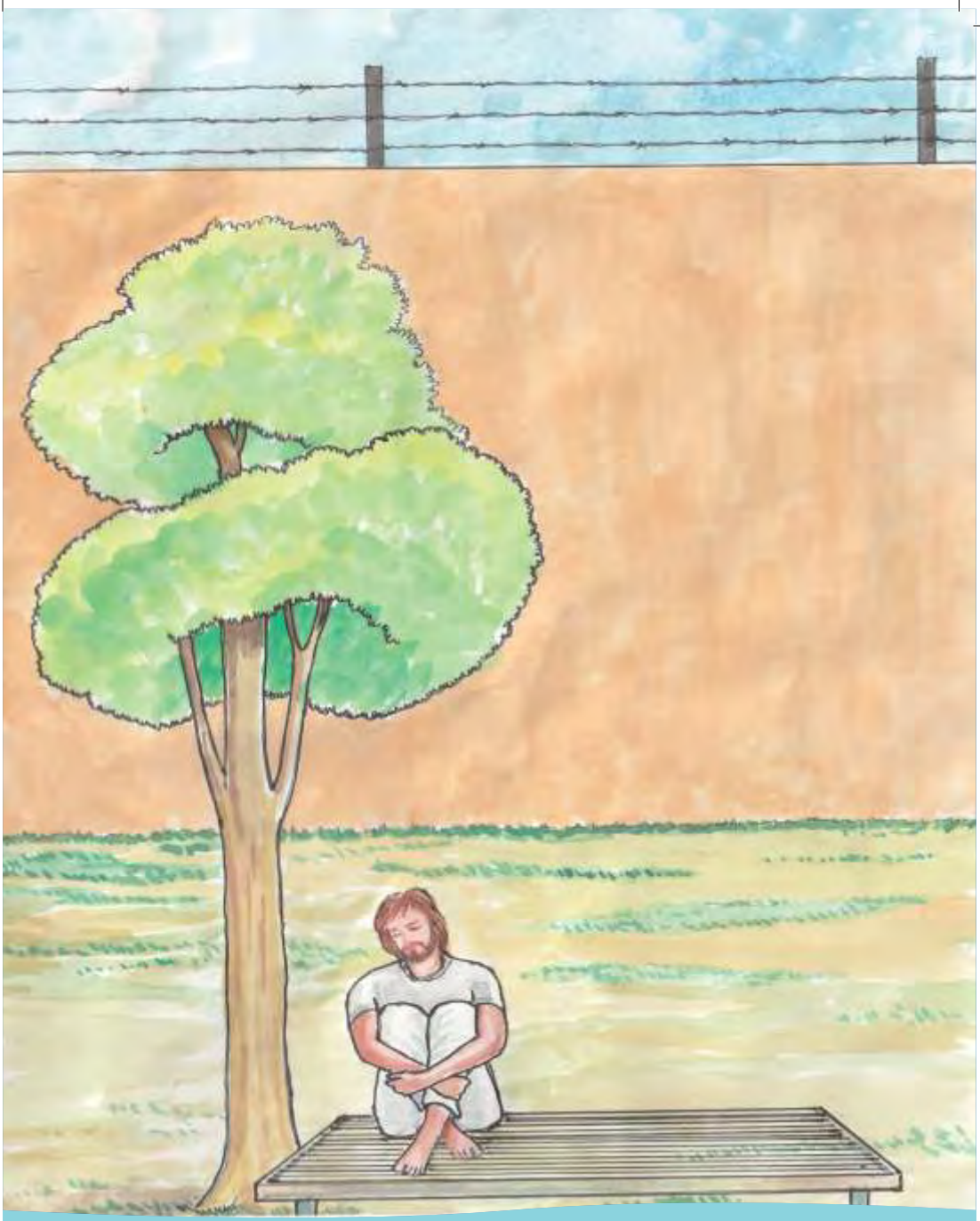

विशेष प्रयोजन वाले कैदी

८६. जेल में कौन से समूह "कमज़ोर" हैं?

कुछ समूह जेल में खास तौर से कमज़ोर स्थिति में होते हैं और इसलिए उनको अतरिक्त देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत होती है। अपनी खास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त सुविधाओं और विशेष सेवा की कमी के कारण कैद के दौरान कुछ लोग अधिक पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं। ऐसे समूहों को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, अपनी नस्ल/जाति, राष्ट्रीयता, विकलांगता, लिंग और लैंगिक स्थिति के निर्धारण से अपमान सहन करना पड़ सकता है। इन कमज़ोर समूहों में महिलाएं, कैदियों के बच्चे, विदेशी कैदी (FNPs), मृत्यु दंड के कैदी, कम उम्र अपराधी, शारीरिक या मानसिक रूप से भिन्न योग्यता वाले, या बूढ़े और बीमार कैदी शामिल हैं।

८७. प्रत्येक कमज़ोर समूह को ज़रूरत के हिसाब से क्या विशेष देखरेख प्रदान की जा सकती है?

क) महिलाएं

क. महिला कैदियों को अलग से रखा जाना चाहिए और उनकी देखभाल केवल महिला कर्मचारियों द्वारा की जानी चाहिए।

ख. जेल में भर्ती होते समय महिला कैदी की जांच केवल महिला डाक्टर और तलाशी केवल महिला कर्मचारियों द्वारा की जानी चाहिए। अगर वह जेल प्रवेश के समय गर्भवती पाई जाती है तो उसकी स्त्रीरोग से सम्बंधित उचित जांच कराई जानी चाहिए और उसके बाद जन्म पूर्व और जन्म उपरान्त उचित देखभाल की व्यवस्था कराई जानी चाहिए। उसे विशेष आहार भी दिया जाना चाहिए।

ग. साफ सफाई और स्वच्छता महिला स्वास्थ की मुख्य चिंताएं हैं और उन्हें जेल में स्वयं स्वच्छता के लिए उचित निजता प्रदान की जानी चाहिए।

ख) कैदियों के बच्चे

क. इस तथ्य का उल्लेख किए बिना कि बच्चे का जन्म जेल में हुआ है, जेल में जन्म लेने वाले बच्चों का स्थानीय जन्म पंजीकरण कार्यालय में दर्ज किया जाना चाहिए।

ख. बच्चा छः साल तक अपनी मां के साथ या कुछ असामान्य हालतों में अपने पिता के पास जेल में रह सकता है उसके बाद या तो उसे उसके बंदी के परिवार में, और यदि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो बाल आश्रम गृह में भेजा जा सकता है।

ग. जेल में बच्चों को स्थानीय मौसम के हिसाब से पहनने के कपड़े उपलब्ध कराए जाने होते है। उनकी उम्र के हिसाब से कैलोरी की ज़रूरतों को पूरा करने वाला आहार दिया जाना चाहिए और पोलियों समेत विभिन्न बीमारियों से बचाव के टीके लगाये जाना चाहिए।

घ. महिला कैदियों के बच्चों को शिक्षा और मनोरंजन के उचित अवसर अवश्य दिए जाने चाहिए। जब उनकी माताएँ जेल में काम पर होती है तो बच्चों को अवश्य ही मैटरन या महिला वॉर्डन के प्रभार में शिशु सदनों/नर्सरी स्कूलों में रखा जाना चाहिए।

ग) युवा अपराधी

क. १८ से २१ साल के अपराधियों दूसरे कैदियों से अलग रखा जाना चाहिए उनके साथ नहीं |

ख. १८ साल से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जा सकता। यदि कोई कैदी १८ साल से कम आयु का होने का दावा करता है या १८ साल से कम का लगता है तो मामले के सम्बंध में विधिक सेवा प्राधिकरण और सम्बंधित न्यायालय को सूचित करके तुरंत शिशु कल्याण समिति को भेज देना चाहिए।

ग. उन्हें उनके विकास के लिए आवश्यक संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

घ. कम आयु के अपराधियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए विशेषकर भौतिक और स्वास्थ शिक्षा, सामाजिक और नैतिक शिक्षा,

शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, कला और हस्तकलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

घ) विदेशी राष्ट्रीयता के कैदी

क. जेल में प्रवेश के तुरंत बाद अधीक्षक को चाहिए कि उचित माध्यमों से सम्बंधित दूतावासों को उनके नागरिक की कैद के बारे में सूचना अवश्य दें।

ख. विदेशी कैदियों को जेल में प्रवेश करते ही अपने दूतावास (उचित सेंसर के बाद) के अधिकारियों से यथाशीघ्र सम्पर्क करने के लिए उचित सुविधा अवश्य दी जानी चाहिए। बिना विलम्ब उनकी सूचना उनके दूतावास को भेजी जानी चाहिए।

ग. विदेशों में परिवार, सम्बंधियों या मित्रों को पत्र लिखने के लिए उनको डाक टिकट खरीदने की भी अनुमति दी जा सकती है। अगर उन्होंने जेल में कोई रूपये जमा नहीं किया है तो डाक टिकट की आपूर्ति जेल द्वारा की जाएगी।

घ. विदेशी कैदियों को सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग और ईमेल सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं।

ङ. विदेशी कैदी के जेल में दाखिल होने के तत्काल बाद राष्ट्रीयता प्रमाणित करने की प्रक्रिया अवश्य शुरू हो जानी चाहिए।

ङ) दिव्यांग एवं मानसिक ग्रस्त कैदी

क. दिव्यांग कैदियों को सुविधाओं, कार्यक्रमों और सेवाओं की आवश्यकता का बराबर का अधिकार है।

ख. बहरे कैदियों को अनुशासनात्मक सुनवाइयों, श्रेणीबद्ध सुनवाइयों, शैक्षिक और व्यवसायिक कार्यक्रमों के दौरान सांकेतिक भाषा अनुवादक दिया जाना चाहिए।

ग. मानसिक रोगी कैदियों को उचित इलाज प्रदान किया जाना चाहिए और उनके मुकदमे की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि समय से अधिक या अनिश्चितकालीन हिरासत से बचा जा सके।

च) मृत्यु दण्डित कैदी

क. उन्हें अपने परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों या वकीलों से, यदि आवश्यक हो तो किसी अधिकारी की उपस्थिति में, सप्ताह में एक बार या उससे अधिक बार अवश्य मुलाक़ात की अनुमति दी जानी चाहिए।

ख. अपनी आस्था के पुरोहित से उनकी मुलाक़ात कराई जा सकती है।

ग. उन्हें धार्मिक पुस्तकों, तस्वीरों और एलबमों, अखबारों, किताबों और स्टेशनरी के सामान की अनुमति दी जा सकती है।

घ. उन्हें अलग सेल तक सीमित किया जा सकता है और दिन-रात एक गार्ड के प्रभार में रखा जा सकता है।

आपराधिक विचारण के चरण

८८. परीक्षण/सुनवाई क्या है?

सुनवाई एक प्रक्रिया है जिसमें किसी मुकदमें में तथ्यों और सबूतों का परीक्षण किया जाता है; अभियोजन और बचाव द्वारा दलीलें पेश की जाती हैं और इन्हीं के आधार पर न्यायाधीश फैसले देते है |

८९. विचारण के विभिन्न चरण कौन-कौन से हैं ?

1

गिरफ्तारी :-
किसी व्यक्ति को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जबकि उचित आधार मौजूद हो कि उसने कोई अपराध किया है या करने वाला है। गिरफ्तारी के बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। अगर मामला ज़मानती अपराध का है तो पुलिस उसे खुद पुलिस स्टेशन से तुरंत ज़मानत दे सकती है।

2

पेशी :-
उसकी गिरफ्तारी के २४ घंटे के अंदर पुलिस को उसे मजिस्ट्रेट के सामने अवश्य पेश करना चाहिए। न्यायालय में पुलिस विवेचना के कागज़ात पेश करेगी। (पुलिस अपनी जांच को जारी रखने के लिए उसे अधिक समय के लिए अपनी हिरासत में देने का अनुरोध न्यायालय से कर सकती है।) दस्तावेज़ों का अवलोकन करने के बाद मजिस्ट्रेट उसे वापस पुलिस स्टेशन (पुलिस हिरासत में) भेज सकता है या जेल (न्यायिक हिरासत में) भेज सकता है या ज़मानत दे सकता है या आरोपों को खारिज करते हुए उसे तत्काल प्रभाव से रिहा करने के आदेश दे सकता है।

3

आरोप :-
आरोप कथित रूप से कारित किए गए अपराध का औपचारिक नोटिस है। अपनी विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करती है। आरोप पत्र का अवलोकन करने के बाद न्यायालय आरोप तय करती है और न्यायालय में उसे पढ़कर सुनाया जाएगा। आरोपी को यह तय करना होगा कि जो आरोप लगाए गए है वह अपराध उसने किए हैं या नहीं, जिसमें वह दोष स्वीकारेगा या दोष से इनकार करेगा।

4

विचरण :-
अगर वह अपराध से इनकार करता है तो मुकदमा विचारण के लिए लगा दिया जाएगा। विचारण में निम्न चरण शामिल है :-

- धारा ३१३ के अंतर्गत आरोपी का बयान,
- मौखिक और दस्तावेज़ी सबूत,
- अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलील, निर्णय अभिकथन ।

5

दोषी या दोषमुक्त करार दिया जाना :
विचारण समाप्त होने के बाद न्यायालय उसे या तो अपराधों के लिए दोषी नहीं पाएगा और वह बरी कर दिया जाएगा (छोड़ दिया जाएगा और अगर जेल में है तो हिरासत से रिहा कर दिया जायेगा); या उसे दोषी घोषित किया जाएगा और सज़ा दी जाएगी।

6

अपीलः
फैसले या दोषमुक्ति/दोषी करार दिए जाने/सज़ा में कमी से असंतुष्ट पक्ष एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपील दायर कर सकता है। अपीलीय अदालत द्वारा अपील की सुनवाई तक उसे दी गई सज़ा पर का स्थगन प्रदान किया जा सकता है।

९०. कैदियों को उनके मुकदमों की पेशी तारीख पर अदालतों में प्रस्तुत करने के लिए कौन उत्तरदायी है?

अपनी सुनवाई की तारीख पर प्रत्येक कैदी को न्यायालय में अवश्य हाज़िर होना चाहिए । आरोप पत्र दाखिल होने से पहले पेशी - जेल में उपलब्ध वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से कैदियों की पेशी की भी अनुमति

होती है। हालांकि जहां शारीरिक उपस्थिति या न्यायालय की सुनवाई में मौजूद रहने का निवेदन किया जाता है वहां पुलिस कैदियों को सुरक्षा में न्यायालय तक लाने और ले जाने की ज़िम्मेदार होती है। सुरक्षित न्यायालय तक ले जाने के लिए जेल प्रशासन को उचित संख्या में पुलिस रक्षकों की आवश्यकता होती है।

९१. अगर कैदियों को सुरक्षा की कमी या अन्य प्रशासनिक कारणों से न्यायालय नहीं ले जाया जाता है तो वे क्या कर सकते हैं? अगर उन्हें न्यायालय ले जाया गया और न्यायालय के लाकअप में रखा गया और मजिस्ट्रेट के सामने शारीरिक रूप से पेश नहीं किया तो क्या होगा? उन मुकदमों का क्या होगा जब उन्हें वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम पेश किया गया लेकिन न्यायिक अधिकारी से बातचीत का अवसर नहीं दिया गया?

ऐसी परिस्थितियों में कैदी को अपने वकील या जेल विधिक सहायता क्लीनिक के माध्यम से पेश न किए जाने की घटना के बारे में न्यायालय को सूचित करते हुए तत्काल याचिका दायर करनी चाहिए और अतिशीघ्र न्यायालय के सामने शारीरिक रूप से प्रस्तुत करने का निवेदन करना चाहिए।

९२. संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या हैं ?

संज्ञेय अपराध का मतलब वे अपराध हैं जिनमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकते हैं। सामन्यतः यह हत्या, बलात्कार, अपहरण आदि जैसे गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं।

असंज्ञेय अपराध का मतलब है वे अपराध जिनमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। प्रायः असंज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति के नहीं होते जैसे प्रहार करना, धोखेबाज़ी, रिष्टि कारित करना आदि। असंज्ञेय अपराध में पुलिस के लिए यह अनिवार्य है कि उसकी विवेचना आरंभ करने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करे।

९३. ज़मानती और गैर-ज़मानती अपराध क्या हैं?

अपराधों को ज़मानती और गैर-ज़मानती अपराधों में सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ज़मानतीय अपराध गैर ज़मानत वाले अपराधों की तुलना में कम तीव्र प्रकृति के होते हैं। किसी आरोपी को गैर-ज़मानती अपराध के आरोप के लिए न्यायालय के विवेक से ज़मानत मिल सकती है जबकि ज़मानती अपराधों में आरोपी को ज़मानत राशियाँ व्यक्तिगत बांड पर रिहाई का अधिकार है और पुलिस थाने से भी मिल सकती है।

९४. ज़मानत क्या है? ज़मानत राशि या बंधपत्र क्या हैं?

प्रकरण के विचारण के दौरान कैदी की अस्थाई रिहाई ज़मानत कहलाती हैं | रिहाई सशर्त या बिना शर्त हो सकती है। किसी व्यक्ति को ज़मानत या अपने बंधपत्र पर रिहा किए जाने से पहले न्यायालय द्वारा उक्त व्यक्ति से निर्धारित धन राशि का बंधपत्र निष्पादित किया जाएगा। एक या अधिक पर्याप्त ज़मानतों के बाद इस शर्त पर व्यक्ति रिहा किया जाता है कि बंधपत्र में उल्लिखित समय और स्थान पर वह हाज़िर रहेगा और ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक न्यायालय द्वारा कोई अन्य निर्देश नहीं दिया जाता है। इस प्रकार ज़मानत दूसरों का वचन पूरा करने या कर्तव्य या अदालती हाज़री के लिए जवाबदेह होने का अभिवचन है। व्यक्तिगत बंधपत्र एक औपचारिक लिखित अनुबंध है जिसमें व्यक्ति किसी काम को करने या कुछ निश्चित गतिविधियों से दूर रहने का वचन देता है। ऐसा करने में नाकाम रहने पर अर्थदंड का भागीदार हो सकता है |

९५. जो कैदी ज़मानत राशि/ज़मानत नहीं दे पाते उनका क्या होता है ?

ज़मानती मामलों में अगर अभियुक्त ज़मानत बंधपत्र देने या ज़मानत देने में नाकाम रहता है और कैद में सात दिन बिता चुका है तो उसे दरिद्र घोषित कर दिया जाना चाहिए और तत्काल व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा कर देना चाहिए। गैर-ज़मानती अपराधों के मामलों में अधिवक्ता न्यायालय से ज़मानत राशि कम करने का निवेदन कर सकते हैं। अगर आरोपी का कोई वकील नहीं है तो वह सहायता के लिए जेल विधिक सेवा क्लीनिक से सम्पर्क कर सकता है । ऐसे तमाम मामले अंडरट्रायल रिव्यु कमिटी (UTRC) द्वारा समीक्षा योग्य भी हैं।

९६. अगर कोई कैदी ज़मानत की शर्तों का पालन नहीं करता तो क्या होता है ?

बिना कारण न्यायालय में पेशी के लिए हाज़िर होने में असफल रहना 'ज़मानत से फरार' माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति रिहाई की किसी शर्त को तोड़ता है तो वह फिर से गिरफ्तार होगा और ज़मानत राशि उससे या उसकी ज़मानतों से वसूली जा सकती है।

९७. क्या किन्हीं परिस्थितियों में भी ज़मानत अधिकार के रूप में प्रदान की जा सकती है ?

हां, कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत कैदी वैधानिक ज़मानत का हकदार होता है। सी.आर.पी.सी. के अनुसार,

क. ज़मानती मामलों में कैदी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा ज़मानत पर अवश्य रिहा कर दिया जाना चाहिए (धारा ४३६ सी.आर.पी.सी.),

ख. अगर पुलिस विभिन्न अपराधों के मामले अनुबंधित समयावधि के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं करती है जिसकी उससे आशा की जाती है तो कैदी को अवश्य ही रिहा कर दिया जाना चाहिए। (धारा १६७ (२) सी.आर.पी.सी.),

ग. किसी व्यक्ति को ज़मानत पर अवश्य ही रिहा कर दिया जाना चाहिए यदि वह दोषी सिद्ध होने की हालत में दी जा सकने वाली अधिकतम सज़ा काट चुका है।

घ. किसी व्यक्ति ने यदि दोषी सिद्ध होने की अवस्था में दी जाने वाली अधिकतम सज़ा की आधे से अधिक अवधि काट ली है तो उसे ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है (धारा ४३६ए सी.आर.पी.सी.)।

९८. सज़ा सुनाए जाने के बाद क्या होता है?

अगर न्यायालय कैदी को गुनहगार पाता है तो जज उसे दोषी ठहराएगा और सज़ा देगा। सज़ा 'चेतावनी' या 'अच्छे चरित्र की परिवीक्षा' या अर्थदंड और/या कारावास या मृत्युदंड (उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि करने पर) के रूप में हो सकती है। जब कैदी को एक निश्चित अवधि की कारावास की सज़ा होती है तो उसे दोषी कहा जाता है। अगर न्यायालय कैदी को गुनहगार नहीं पाता है तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाता है और ज़मानत बंधपत्र और ज़मानतों को अदा/समाप्त कर दिया जाता है।

९९. कोई सज़ा के खिलाफ अपील कैसे कर सकता है?

सभी व्यक्तियों को सज़ा सुनाए जाने के बाद एक निश्चित समयावधि के अंदर अपील करने का अधिकार होता है। हालांकि न्यायालय में अभियुक्त द्वारा गुनाह स्वीकार करने के आवेदन के आधार पर दोषी करार दिए जाने पर अपील का प्रावधान नहीं है। किसी व्यक्ति को अपील पर फैसला लम्बित रहने के दौरान अस्थाई रिहाई मिल सकती है जिसे 'सज़ा का निलंबन' या आमतौर पर ज़मानत कहा जा जाता है।

१००. जो कैदी वकील का खर्च नहीं उठा सकते वे अपील कैसे दायर कर सकते हैं ?

अगर कैदी या उसका परिवार अपील दायर करने के लिए वकील का खर्च नहीं उठा सकता तो उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या जेल विधिक सहायता क्लीनिक के माध्यम से अपील दायर करने के लिए वकील नियुक्त करने हेतु उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति या सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवाएं समिति को आवेदन भेजा जा सकता है।

१०१. कैद में रहते हुए कोई कैदी या उसका परिवार मुकदमा या अपील की स्थिति के बारे में कैसे पता कर सकता है?

अपने वकील से मुकदमे की स्थिति के बारे में नियमित जानकारियां मांगने के अतरिक्त कोई भी व्यक्ति मुकदमा या अपील की स्थिति का पता ई-कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर कर सकता है (https://ecourts.gov.in/ecourts_home/)। ज़िला न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लम्बित किसी भी मुकदमे की स्थिति का पता इस पोर्टल में आसानी से किया जा सकता है। विधिक सेवा प्राधिकरणों, जेल कर्मियों, पैरालीगल वालिंटियर या अन्यों से इन वेबसाइटों तक पहुंच के लिए सहायता भी मांगी जा सकती है। अपने मुकदमे की ताज़ा जानकारी के लिए कोई सम्बंधित न्यायालय के विधिक सेवाएं संस्थान के मुख्य कार्यालय में भी किया जा सकता है।

कैदियों के अधिकार

कैदियों को भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं अलावा उन अधिकारों के जिन्हें कैद के कारण कम/निलंबित कर दिया गया है । यहाँ नीचे उल्लेखित अधिकार और कर्तव्य व्यापक नहीं है ।

मानव गरिमा का अधिकार :-

- शरीर और मन की अखंडता और मौलिक मानव गरिमा के साथ व्यवहार का अधिकार;
- यातना, क्रूरता, अमानवीयता या अपमानजनक व्यवहार या दंड या किसी भी प्रकार के दुव्र्यवहार या दमन के खिलाफ अधिकार;
- कानून द्वारा स्थापित उचित प्रतिबंधों को मानते हुए मौलिक अधिकारों का लाभ उठाने का अधिकार;
- जंजीर या बेड़ी जैसे अवरोधों के इस्तेमाल के खिलाफ अधिकार;
- भर्ती होने के समय चिकित्सीय जांच करवाए जाने का अधिकार;
- अतर्कपूर्ण भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार;
- मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास हेतु लक्षित बनाकर सांस्कृतिक गतिविधियों और शिक्षा में भाग लेने का अधिकार;

न्यूनतम मौलिक आवश्यक्ताओं का अधिकार :-

- कैदियों के लिए कानून के अंतर्गत स्वीकार्य सुविधाओं और विशेषाधिकार के बारे में जानकारी का अधिकार;
- पर्याप्त आहार, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता का अधिकार;
- रहने के लिए साफ एंव स्वच्छ आवासीय परिसर, स्वास्थ्य रक्षा और व्यक्तिगत सफाई का अधिकार;
- पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े, बिस्तर और अन्य सुविधाओं का अधिकार;
- शिकायतें अभिव्यक्ति का हक़ ;
- निर्धारित दर और नियमों के अनुसार जेल में किए गए काम के लिए प्रत्येक दण्डित कैदी को समान मज़दूरी का अधिकार;
- जेल की सुरक्षा और व्यक्तियों की हिफाज़त को ध्यान में रखते हुए धार्मिक आस्थाओं का तर्कपूर्ण सीमा तक पालन करने का अधिकार;
- सजा़यापफ्ता कैदी के पैरोल और फलो अवकाश की पात्रता को विचारक्षेत्र में लेने का अधिकार;

संपर्क का अधिकार :-

- बाहरी दुनिया से सम्पर्क का अधिकार समय समय पर परिवार, मित्रों और वकीलों से मुलाक़ात का अधिकार;
- परिवार या मित्रों से अपने कारावास के संदर्भ में या अन्य जेल में स्थानांतरण या गंभीर बीमारी या चोट के सम्बंध में सूचना देने का अधिकार;
- विदेशी नागरिकों का दूतावास/ वाणिज्य दूतावास/ राजनयिक मिशनों से अपनी हिरासत, कानूनी सहायता और स्वदेश भेजे जाने के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए बातचीत करने का अधिकार;
- जेल पुस्तकालयों, पत्रिकाओं, अखबारों, किताबों, साप्ताहिक या मासिक समाचार पत्रों, नियतकालिक पत्रिकाओं की उपलब्धता से बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार।

जेल में महिला कैदियों और बच्चों के अधिकार :-

- पुरूष कैदियों से पूरी तरह अलग रखे जाने का अधिकार;
- महिला कैदियों को छः साल की आयु तक के अपने बच्चों को अपने साथ रखने का अधिकार;
- केवल महिला कर्मियों द्वारा निगरानी और तलाशी लिए जाने का अधिकार;
- गर्भवती महिला कैदियों का जिला अस्पताल में समय-समय पर स्त्री रोग सम्बंधी परीक्षण कराने का अधिकार;
- जेल में बच्चे के प्रसव और जन्म पूर्व व जन्म पष्चात देखभाल की न्यूनतम मौलिक सुविधाओं की प्राप्ति का अधिकार;
- बच्चे के जेल में जन्म की जानकारी को जन्म प्रमाण पत्र में उल्लेखित 'न' करने का अधिकार कि बच्चा जेल में पैदा हुआ था;
- बच्चों के खाने, रहने, चिकित्सीय देखभाल, कपड़ा, शिक्षा और मनोरंजन सुविधाओं का अधिकार;
- बच्चों का समय पर टीकाकरण और महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियमित जांच का अधिकार;
- जेल में कैदियों के बच्चों को जेल की बालवाड़ी या नर्सरी की सुविधा का अधिकार ;

कैदियों के कर्तव्य

- जेल के नियमों का पालन करना और सक्षम जेल अधिकारियों द्वारा जारी सभी नियमों और निर्देशों को मानना;
- अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जेल अधिकारियों द्वारा अधिकारिक कर्तव्यों के निर्वाह में सहयोग देना;
- जेल में अनुशासित जीवन व्यतीत करना और सफाई एंव स्वच्छता के निर्धारित मानकों को बनाए रखना;
- जेल के अंदर किसी अप्रिय या आवांछित घटना या गतिविधि के बारे में जेल अधिकारियों को सूचना देना;
- शिकायत निवारण तंत्र का प्रयोग करना और दूसरों को भी प्रोत्साहित करना लेकिन झूठी शिकायत करने या किसी तरह के आंदोलन / शान्ति भंग की साजिश करने से परहेज़ करना;
- पैरोल या फर्लो की छुट्टी समाप्त होने पर तत्काल जेल वापस आना;
- जेल में अंदर कोई प्रतिबंधित वस्तु न ले जाना; जेल के तालों, दरवाज़ों और खिड़कियों से या जेल किसी उपकरण से लापरवाही में या जानबूझकर से छेड़छाड न करना और सरकारी सम्पत्ति का सावधानी से प्रयोग करना;
- जेल में सुधारात्मक वातावरण को संरक्षित रखना ;
- दण्डित कैदियों द्वारा निर्धारित कर्तव्यों निष्ठापूर्वक पालन करना ;
- सभी कैदियों, जेल कर्मियों और अन्य लोगों की गरिमा और जीवन के अधिकार का सम्मान करना;
- दूसरों की धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों को आहत करने से परहेज़ करना।

सी.एच.आर.आई के कार्यक्रम

सीएचआरआई का मानना है कि राष्ट्रमंडल और इसके सदस्य देशों को जवाबदेही और भागीदारी के व्यवहारिक तौर तरीकों के उच्च मानक रखने चाहिए। यह मानवाधिकारों, पारदर्शी लोकतंत्रों और समावेशी विकास लक्ष्यों (SDGs) के लिए अनिवार्य है। सीएचआरआई खास तौर से रणनीतिक पहल और मानवाधिकारों की वकालत, न्याय तक पहुंच और सूचना की उपलब्धता पर काम करता है। यह शोध, प्रकाशनों, कार्यशालाओं, विश्लेष्ण, लामबंदी, प्रसार और वकालत के काम पर ध्यान केंद्रित करता है और निम्नलिखित प्रमुख जानकारियां देता हैः

१. इंसाफ तक पहुंच (ATJ)

- **पुलिस सुधारः** बहुत से देशों में पुलिस को नागरिकों के अधिकारों के रक्षक के बजाए राज्य के दमनकारी तंत्र के तौर पर देखा जाता है जिससे बड़े पैमाने पर अधिकारों का हनन होता है और न्यायिक उपदेशा होती है सीएचआरआई व्यवस्थित तरीके से सुधार को बढ़ावा देता है ताकि पुलिस शासन की मर्जी थोपने के बजाए कानून को शासन कायम रखने के लिए काम करे। सीएचआरआई के कार्यक्रमों का उद्देश्य पुलिस सुधारों के लिए जनता को जागरूक करना और नागरिक समाज को उन मुद्दों से जोड़कर मज़बूती प्रदान करना है। पूर्वी अफ्रीका और घाना में सीएचआरआई पुलिस की जवाबदेही और राजनीतिक हस्तक्षेप के मामलों का परीक्षण करती है ।
- हम रंग, रूप और लिंग के आधार पर भेदभाव विरोधी एक विभाग को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
- **जेल सुधार:** सीएचआरआई पारंपरिक रूप से जेलों में अपारदर्शी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और अनाचारों से परदा उठाने का काम करता है । मुकदमों की अस्वीकार्य भीड़, सुनवाई की लम्बी अवधि तक नज़रबंदी और जेल में कैद रखने जैसी कानून व्यवस्था की असफलताओं को उजागर करने के अलावा हम कानूनी सहायता की वकालत करने और जेल निगरानी प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए नीति परिवर्तन में हस्तक्षेप करने का काम करते हैं । जेलों में अतिसंकुलाता, विचाराधीन प्रकरणों की दीर्घता एवं जेल में अनाधिकृत अधिक निरोध जैसी कानून व्यवस्था की आसफलताओं को प्रकट करने के अलावा एवं इन क्षेत्रों में खास ध्यान देना जेल के प्रशासन और न्याय की स्थिति में सुधार ला सकती है।

२. सूचना तक पहुंच

सीएचआरआई को सूचना तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले प्रमुख संगठन के बतौर जाना जाता है। यह देशों में प्रभावी सूचना के अधिकार कानून पारित करने और लागू करने को प्रोत्साहित करता है। कानून के विकास में यह नियमित रूप से सहायता करता है और सूचना के अधिकार कानून और उस पर अमल को बढ़ावा देने में भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, घाना और हालिया दिनों में कीनिया जैसे देशों में खासतौर से कामयाब रहा है। घाना में सीएचआरआई सूचना अधिकार कानून और नागरिक समाज गठबंधन का सचिवालय है। हम नए कानून की नियमित समीक्षा करते हैं और सरकारों और नागरिक समाज दोनों के व्यवहार में बेहतरी लाने के लिए हस्तक्षेप करते हैं, ऐसा हम कानून का मसौदा तैयार करते समय और पहली बार लागू किए जाते समय करते हैं। हमें विपरीत परिस्थितियों में काम करने और सांस्कृतिक रूप से विविध क्षेत्रों में काम करने का अनुभव है; ये सूचना के अधिकार के नए कानून विकसित करने के इच्छुक देशों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि लाने में हमें सक्षम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर घाना में सूचना तक पहुंच और प्रभावी कानून को परिचित कराने के अभियान के महत्व से अवगत कराने को यह बढ़ावा देता रहा है ।

- **दक्षिण एशिया मीडिया रक्षकों का नेटवर्क (SAMDEN)**

  सीएचआरआई ने दक्षिण एषिया में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, 'मीडियाकर्मियों पर बढ़ते हुए हमलों और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर दबाव' के मुद्दे को सम्बोधित करने के लिए मीडिया पेषेवरों का एक क्षेत्रीय नेटवर्क विकसित किया है। दक्षिण एशिया मीडिया रक्षकों के नेटवर्क (सैमडेन) का मानना है कि ऐसी स्वतंत्रता अविभाज्य है और वह कोई राजनीतिक सीमा नहीं जानती है। भेदभाव और धमकियों का अनुभव रखने वाले मीडिया पेशेवर के एक खास समूह द्वारा नियंत्रित, सैमडेन, मीडिया पर दबाव को ध्यान में रखते हुए, मीडिया के काम करने की घटती हुई गुंजाईश और प्रेस की आज़ादी के मुद्दों पर, एक प्रभावी वेबसाइट मंच विकसित कर रहा है। यह मीडिया को लामबंद करने पर काम कर रहा है ताकि ताकत सहयोग़ और संख्या से पैदा हो। तालमेल का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र सैमडेन का सूचना के अधिकार आंदोलनों और कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव है ।

३. अंतर्राष्ट्रीय वकालत और कार्यरचना

सीएचआरआई राष्ट्रमंडलीय सदस्यों के साथ मानवाधिकार दायित्वों के अनुपालन की निगरानी करता है और जहां ऐसे दायित्वों का उल्लंघन होता है वहां मानवाधिकार की ज़रूरतों की वकालत करता है। सीएचआरआई, राष्ट्रमंडल सचिवालय, मंत्री स्तरीय कार्यवाही समूह, संयुक्त राष्ट्र और मानव एंव लोक अधिकार के अफ्रीकी आयोग जैसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ मिलकर काम करता है। वर्तमान में प्रचलित राजनीतिक नवाचारों में राष्ट्रमंडल सुधार की वकालत निरीक्षण करना एवं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् में राष्ट्रमंडलीय सदस्यों द्वारा संकल्पित सुधारों की पुनर्वीक्षा एवं आवर्ती सार्वत्रित समीक्षा करना शामिल है | हम मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा और नागरिक समाज के लिए अवसरों की वकालत करते हैं और (राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों को) ताकतवर बनाने का दबाव बनाते हुए राष्ट्रमंडल में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के कार्य निष्पादन की निगरानी करते हैं।

जेल संवृत्त स्थान है कैदियों के दैनिक जीवन और दिनचर्या के बारे में बहुत कम जानकारियां उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा, जब तक खुद कैद में न पड़ जाएं जेल जीवन से जुड़े विवरणों को जानने की रुचि बहुत कम लोगों को होती है । कहा जा सकता है कि बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा या आवश्यकता वश जेलों के सम्बंध में उठने वाले सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। इस किताब में जेल और कैदियों के जीवन से जुड़े १०१ सबसे अधिक पूछे जाने वाले सवालों के जवाब शामिल हैं।

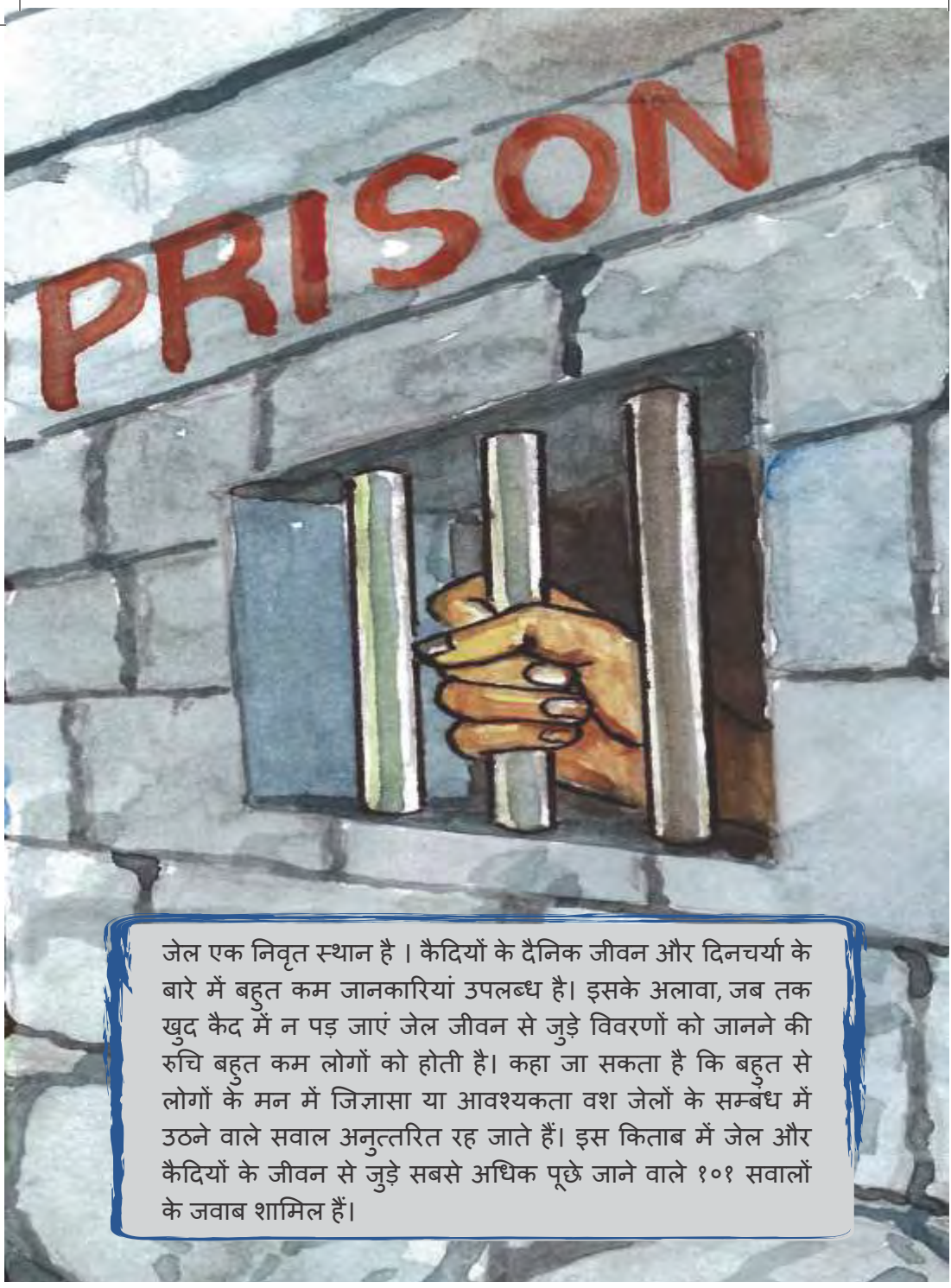

जेल एक निवृत स्थान है । कैदियों के दैनिक जीवन और दिनचर्या के बारे में बहुत कम जानकारियां उपलब्ध है। इसके अलावा, जब तक खुद कैद में न पड़ जाएं जेल जीवन से जुड़े विवरणों को जानने की रुचि बहुत कम लोगों को होती है। कहा जा सकता है कि बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा या आवश्यकता वश जेलों के सम्बंध में उठने वाले सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं। इस किताब में जेल और कैदियों के जीवन से जुड़े सबसे अधिक पूछे जाने वाले १०१ सवालों के जवाब शामिल हैं।

FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION For Freedom
South Asia

Friedrich Naumann Foundation for Freedom
6, USO House, USO Road, Special Institutional Area
New Delhi 110067, INDIA
Phone: +91 (11) 41688149/50, Fax: +91-11-26862042
www.fnfsouthasia.org

Design/Layout: Chenthil (+91 75105 82104)
Illustrations: Anil Ooruttambalam

Commonwealth Human Rights Initiative
55A, Third Floor, Siddharth Chambers, Kalu Sarai
New Delhi 110 017, India
Tel: +91 11 4318 0200; Fax: +91 11 2686 4688
E-mail: info@humanrightsinitiative.org